

SHORT DURATION DISCUSSION - Contd.

Suicide by the farmers in various parts of the country and the demand to increase the Minimum Support Price of foodgrains

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Vikram Verma.

SHRI AMAR SINGH: Sir,...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; I am not allowing anybody else. ... (Interruptions)... Shri Vikram Verma on Short Duration Discussion. It is half-an-hour discussion. All your solutions will not come. Shri Vikram Verma. ... (Interruptions)... विक्रम वर्मा जी, आप बोलिए। ... (व्यवधान)... नहीं, दत्ता मेघे जी, आप बैठिए। देखिए, आपके हर सवाल का जवाब हाफ-एन-आवर में नहीं हो सकता। ... (व्यवधान)... You can ask some questions only. (Interruptions) Please... (Interruptions)...

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI KAMAL NATH): Sir, I will reply to Shri Datta Meghe's question. With his help, we will try and ensure that as many SEZs as possible can come. (Interruptions)...

श्री उपसभापति : विक्रम वर्मा जी, आप बोलिए। ... (व्यवधान)... Amar Singhji, I have called Shri Vikram Verma. ... (Interruptions)...

श्री रामदास अग्रवाल : उपसभापति जी। ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : नहीं, आप दूसरे तरीके से उठाइए under the rules. शॉर्ट ड्युरेशन डिसकस कीजिए। ... (व्यवधान)... विक्रम वर्मा जी, आप बोलिए। I would like to inform the hon. Members that all the political parties have exhausted their time. You have to take minimum time. There are still 18 hon. Members to participate in this debate. I would request hon. Members not to take more than five minutes and not repeat whatever has already been mentioned.

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, किसानों की आत्महत्या के संबंध में इस सदन में अनेक बार पहले भी चर्चा हुई है। यह चर्चा पिछले वर्ष के मार्च महीने में हुई है, लेकिन आज 16-17 महीने के बाद भी ऐसा लगता है कि सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है। यूं तो ऐसे 50 साल हो गए, दस-दस पंचवर्षीय योजनाएं बन गईं, लेकिन उसके बावजूद भी यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि किसानों को आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मैं आंकड़ों पर नहीं जाता। किसी ने एक लाख तक के आंकड़े बताए हैं, ये केवल चार राज्यों के हो सकते हैं, जबकि इससे भी कहीं अधिक आंकड़े बराबर प्रकाशित होते रहे हैं। लेकिन, सवाल यह है कि इन सबके बावजूद सरकार ने कहीं नीति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन किया हो, कोई क्रांतिकारी ऐसा परिवर्तन किया हो जो किसानों की आत्महत्याओं को रोक सके, ऐसी कोई योजना बनाई हो, ऐसे कोई कदम उठाए हों, मुझे इस प्रकार की कोई बात नहीं लगती, बल्कि कभी-कभी तो हास्यास्पद कदम उठाए जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इसी सदन में एक प्रश्न

के माध्यम से बात आई थी कि धान के खरीद मूल्य पर सरकार ने 10 रुपए क्विंटल और बोनस देना शुरू किया है। 10 रुपए क्विंटल का मतलब होता है एक किलो पर 10 पैसे! अब आप कल्पना करें कि यह स्थिति इस सरकार की है, कितना मज़ाक किसानों के साथ किया जा रहा है! एक तरफ SEZ के बारे में बात हो रही थी, उद्योगपतियों के लिए क्या-क्या फायदे की बात हो रही है, कितनी छूट दी जा रही है और दूसरी तरफ किसानों के लिए यदि समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि धान पर 10 रुपए का बोनस दिया जाएगा, 10 पैसे एक किलो पर दिया जाएगा, इससे ज्यादा और क्रूर मज़ाक किसान के साथ क्या हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष जी, अभी बातें तो बहुत हो रही थीं कि उद्योग से इतना-इतना आएगा, इतना सब होगा, लेकिन यदि 2006 की संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट हम देखें, UNDP, तो उसमें 1996 के बाद जो भूखे लोगों की संख्या थी, उसमें 1.8 करोड़ का और इजाफा हुआ है, 30 परसेंट बच्चे आज भारत में कम वजन के पैदा हो रहे हैं। एक तरफ औद्योगिकीकरण की बात की जाती है, दूसरी तरफ श्रम संख्या घटी है, जो 1993 का स्तर था, उससे भी कम होती जा रही है। 1980 और 1990 के बीच कृषि में निवेश करीब 29 परसेंट कम हुआ है और कृषि की विकास दर, हम जितने भी दावे करें, आज भी 2 परसेंट से कम है। ये परिस्थितियाँ एक तरफ हैं। दोनों में विसंगति है - एक तरफ हम उद्योगों को कितनी सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं और वह भी किसानों की जमीन लेकर। जमीन कम होती जा रही है, कृषि भूमि कम होती जा रही है, क्योंकि अन्य कार्यों में उसका हस्तांतरण हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। डाइवर्जन लैंड के कारण, पहले ही एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है और किसान रोज परेशान होता जा रहा है। आत्महत्याओं के बारे में यदि हम थोड़ा अध्ययन करें तो यह बात डिस्कशन में सामने आई है कि उसके जो प्रमुख कारण हैं, उनमें कर्ज, ब्याज की दर, बाढ़ और सूखे के कारण होने वाला नुकसान, महंगाई और उसके कारण फर्टिलाइजर, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स, महंगे बीज आदि हैं और इन सबके कारण स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। अभी फॉरेन बीज की बात हुई, Bt cotton की बात हुई, जिस विदेशी कम्पनी की बात हुई, उसने इस देश में किसानों को महंगा बीज बेचा। जब न्यायालय के निर्णय के आधार पर दाम कम करने की बात हुई, तब उसने 250 और कुछ रुपए 450 ग्राम के पैकेट पर कम किए, लेकिन तीन साल तक उस फॉरेन की कम्पनी ने जो हिन्दुस्तान के किसानों को महंगा बीज बेचा था, क्या उससे उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई? उस कम्पनी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई? आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो किसानों को महंगा बीज बेचकर लूटते रहे। हमारी जो प्रक्रिया है, वह पूरी की पूरी प्रक्रिया, फर्टिलाइजर के बारे में माननीय मंत्री जी भी जानते हैं, कई बार इस सदन में चर्चा हुई कि किसान को फर्टिलाइजर की सब्सिडी नहीं मिलती, उसको कई बार महंगा और ब्लैक में फर्टिलाइजर खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन हम सब्सिडी किसको देते हैं? हम सब्सिडी देते हैं उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रीज को, हम प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे रहे हैं और वे उसके fictitious आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। हम प्रोडक्शन के आधार पर सब्सिडी देते हैं, इस आधार पर देते हैं कि शायद खाद सस्ती होगी तो किसान को सस्ती मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वे आंकड़े गलत बताते हैं, प्रोडक्शन के आंकड़े गलत बताते हैं और प्रोडक्शन के गलत आंकड़ों के आधार पर वे सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा सब्सिडी लेते हैं। किसान को भी लूटा जा रहा है, सरकार के खजाने को भी लूटा जा रहा है। यह परिस्थिति है। हम क्या इन नीतियों पर विचार करेंगे? 50 साल में दस पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी यदि आत्महत्याएं होती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी पॉलिसी

डिफेक्टिव है, यदि पॉलिसी ठीक है तो जो हम उसका इम्प्लिमेंटेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, कहीं न कहीं उसमें दोष है। इसलिए आप इस पर पुनर्विचार करें। फर्टिलाइज़र की पॉलिसी पर आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा, सीड्स के बारे में विचार करना पड़ेगा, इतने महंगे सीड्स और फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी दवाई लगती है, कितनी बार उसमें पानी लगता है, पानी के लिए, यदि इरिगेशन करना है तो उस पर बिजली का खर्च कितना होता है, इन सारी चीजों को यदि हम जोड़ते हैं तो किसान की उत्पादन लागत इतनी है कि बाज़ार में जो वह अपना उत्पादन बेचता है और उसका उसको जो मूल्य मिलता है, उसका वह मूल्य लाभ का मूल्य नहीं रह जाता, बड़ी मुश्किल से वह जैसे-तैसे काम चलाता है और यदि इस बीच में एक बार भी बाढ़ आ गई, सूखा आ गया और उसके कारण यदि किसान की फसल बर्बाद होती है तो वह आने वाले दस-पन्द्रह सालों के लिए कर्जदार बन जाता है। कर्ज की जो स्थिति है, उसका कारण हमारे यहां पर ब्याज का सिस्टम है। जिन राज्यों में 90 के दशक में कर्ज माफ़ हुए थे, जब मध्य प्रदेश में हमने कर्जा माफ़ किया था, उस समय में भी उस सरकार में था, 10-12 साल तक तो वहां पर आत्महत्या या इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुईं, लेकिन 10-12 साल के बाद धीरे-धीरे जब किसान कर्जदार बना, यह सिलसिला फिर शुरू हो गया। कर्जदार बनने के बाद ब्याज का भी वही हिसाब है, कोऑपरेटिव बैंकों में एक नया सिस्टम है कि यदि आपकी एक किश्त छूक गई तो आपका जो ब्याज है, वह मूल धन में जुड़ जाता है और जब वह ब्याज मूल धन में जुड़ जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का चक्र प्रारम्भ हो जाता है। किसान की बर्बादी का यही कारण है। जब उसे 12% पर ब्याज मिलता था, तब उसे 22% देना पड़ता था, क्योंकि वह सिस्टम ही इस प्रकार का बना हुआ था।

पिछले साल आपने घोषणा की थी कि हम इसे 9% से 7% पर ले आएंगे, बचा हुआ 2% हम स्वयं देंगे, लेकिन आज वह 2% कहाँ गया? हमारे यहां पर हमने कोऑपरेटिव बैंक से बात की, उनका अभी तक यही कहना है कि जब तक हमें केन्द्र से इस प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, तब तक हम सब्सिडी के तौर पर यह 2% किसानों के खाते में नहीं डाल सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति है, हम केवल घोषणा कर देते हैं, हमने केवल बातें की हैं, लेकिन वास्तव में नीचे तक उसका इम्प्लिमेंटेशन हुआ है या नहीं, इस बात को जानने का प्रयास हमने नहीं किया।

माननीय मंत्री जी, फिर आज यदि हम किसी चीज़ की छूट दे रहे हैं, तो वह छूट किसान अगले साल की क्रॉप के लिए लेगा, लेकिन जो किसान इन आठ-दस-बारह या बीस-पच्चीस वर्षों में कर्जदार बन गया है, उसे इसका लाभ थोड़े ही मिल सकेगा। वह तो ऑलरेडी डीफॉल्टर है, वह तो खुद ही डीफॉल्टर हो गया, उसे न तो बैंक से लोन मिल सकता है, न ही कहीं और से कोई मदद मिल सकती है। इस तरह से आत्महत्या के कगार पर खड़े हुए किसान को इसका फायदा नहीं मिलता है। यदि हमें कुछ करना है तो इसे दो हिस्सों में बांट कर चलना होगा। एक तो आने वाली क्रॉप्स के लिए हमारी पॉलिसी क्या होगी एवं हम उनको क्या-क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं, दूसरा वह किसान जो कर्ज में डूबा हुआ है, उस किसान के कर्ज के निपटान के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। इस प्रकार हमें पॉलिसीज़ को दो हिस्सों में बनाना पड़ेगा, वरना आने वाले नए लोन्स के बारे में तो आप बात कर लेंगे, उसका फायदा तो किसान को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह एक अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में जो किसान कर्जदार हैं, उनकी क्या स्थिति बनेगी?

माननीय उपसभापति महोदय, कुछ समय पहले माननीय प्रधान मंत्री जी विदर्भ गए थे, वहां पर उन्होंने 3,750 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। माननीय मंत्री जी, वहां पर प्रधान मंत्री जी के जाने से पहले भी आत्महत्या की घटनाएं हुई थीं और प्रधान मंत्री जी के जाने के बाद भी वहां पर आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं, इसके आंकड़े हमारे सामने आए हैं। अब आप कल्पना करें कि जब देश का प्रधान मंत्री स्वयं देश के किसी हिस्से में किसानों को लाभ देने के लिए जाए, 3,750 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की जाए, उसके बाद भी किसान आत्महत्या करता है, इसका मतलब यह है कि इस देश के किसान का विश्वास सरकार के ऊपर से उठ गया है, इस देश के किसान का विश्वास व्यवस्था के ऊपर से उठ गया है, इस देश के किसान का विश्वास नीति निर्माताओं और नीतियों के ऊपर से उठ गया है। आज यह इतनी हताशा के दौर में है कि 3,750 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा के बावजूद भी वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है। इसका मतलब यही है कि उसका लाभ उसे नहीं मिल रहा है, उसका सीधा लाभ उसे नहीं मिल सकेगा। आज गले-गले तक वह कर्ज में डूबा हुआ है, उसे उसका लाभ नहीं मिला है। उस पैसे को आप अनेक योजनाओं में डायवर्ट कर रहे हैं। उसका लाभ यदि अन्य किसानों को मिलेगा, तो दो-चार या पांच सालों के बाद मिलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने बार-बार कहा कि जो कर्जदार किसान हैं, जो आत्महत्या के लिए विवश होने की स्थिति में खड़े हुए हैं, उन किसानों के लिए इस प्रकार की कोई लाभदायक योजना या इस प्रकार की कोई चीज नहीं आई है।

माननीय मंत्री जी, कुल मिला कर छः जिलों के लिए घोषणाएं की गई हैं, आपने स्वयं इस बात को माना और माननीय गिल साहब ने भी बताया कि पंजाब के हालात कैसे हैं। हरियाणा में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां से भी किसान यूनियन, किसान संघ इत्यादि ने इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दी हैं कि उनके यहां इस प्रकार की स्थिति है, देश के अन्य कई हिस्सों में इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन कुल मिला कर स्वयं सरकार ने भी इस बात को माना कि हिन्दुस्तान के 31 जिलों में किसान आज गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। वह इस प्रकार की परिस्थिति में पहुंच गया है कि जहां से वह निकल नहीं सकता है। आपने 31 जिलों के बारे में तो माना है, लेकिन जो स्पेशल पैकेजिंग और सुविधाएं आपने दी हैं, वह केवल छः जिलों को दी हैं। आखिर किसानों के साथ यह भेदभाव क्यों? छः जिलों के किसान तो ठीक हैं, लेकिन देश के अन्दर बाकी के जो 25 जिले बचते हैं, उन 25 जिलों के किसान क्या करेंगे? वे आत्महत्या के लिए मजबूर होते रहें और केन्द्र से जो स्पेशल पैकेज मिले, उसे हमारी सरकार केवल देश के छः जिलों के अंदर दे। किसानों के अन्दर यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आपको योजना बनानी है, आपको सुविधा देनी है, आपको किसान को आत्महत्या के रास्ते से हटाकर समृद्धि के रास्ते पर खड़ा करना है, इसमें आत्मविश्वास पैदा करना है ताकि वापस वह कृषि से जुड़ सके, खेती से जुड़ सके, गांव से जुड़ सके। यदि यह सब आपको करना है तो केवल 31 जिले ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के सभी कर्जदार किसानों के बारे में सर्वे करके पूरे देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए एक समान नीति अपनानी पड़ेगी।

महोदय, मैं एक-दो विषयों पर, जिन पर अभी चर्चा नहीं हुई है, बात करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी के पिछले भाषण को मैंने सुना जब पिछली बार डिस्कशन हुआ था लोक सभा का भी भाषण पढ़ा। उसमें माननीय मंत्री जी ने दो बातें भविष्य के लिए कही थीं। एक तो हम वेयरहाउसेज़ एक्ट ला रहे हैं जो किसानों के लिए होगा। एक स्पेशल कमेटी बनी थी और वह

केवल किसानों के लिए बनी थी कि वेयरहाउस में किसान अपना माल रखें और जो माल रखने की रसीद होगी वह नेगोसिएबल होगी, वह कहीं भी ट्रेड के लिए बेची जा सकती है। माननीय मंत्री जी, आप जरा उसका ड्राफ्ट पढ़ लीजिए, किस प्रकार की चालाकी उसमें हो रही है? उसमें "एग्रीकल्चर एंड अदर क्रॉप्स" शब्द डाल दिया गया है। उसका ड्राफ्ट नोट मैंने पढ़ा है, उसमें अदर क्रॉप्स डाला है। जब इस बात को उठाया गया तो उसमें एक और जोड़ा है कि मिनिमम टेन परसेंट तक तो हम कम्पलसरी कर देंगे कि किसान का वेयरहाउस में रहे। इट मींस दैट, टेन परसेंट तक किसान की होगी और 90 परसेंट तक वह जो किसान के नाम पर वेयरहाउस बनेगा उसमें ट्रेडर का माल आकर रखा जाएगा और वह छोटे-छोटे गांव में एक मौल के रूप में जो कल्चर आ रहा है, वह उसके लिए यूज होने लग जाएगा। आप उसको एक्सक्लूसिव करिए, केवल किसान के लिए होना चाहिए, क्योंकि वह जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह केवल एग्रीकल्चर के लिए है, एक्सक्लूसिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। क्यों उसमें अदर कर्मांडिटीज शब्द डाला जा रहा है, क्यों उसमें केवल 10 परसेंट डाला जा रहा है और 90 परसेंट के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी और बाकी लोगों को छूट दी जा रही है, वे चाहें जैसा कर लें।

एक दूसरा सवाल, आपने कहा था कि किसानों के हित में फॉरवर्ड मार्केट सिस्टम लागू किया गया था। मैं मानता हूँ कि उस समय बात थी कि किसानों को अच्छी उपज मिले और स्थिति बेहतर हो। लेकिन स्थिति यह है कि फॉरवर्ड मार्केटिंग का जो हो रहा है पन्द्रह लाख करोड़ से ऊपर का ट्रेड हो रहा है। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वह हिन्दुस्तान के केवल तीन केन्द्रों से संचालित हो रहा है। उसके दो एक्सचेंज हाउस मुंबई में हैं और एक एक्सचेंज हाउस है अहमदाबाद के अंदर। हिन्दुस्तान के इतने लाख करोड़ ट्रेड का जो वायदा बाजार और बिजनेस हो रहा है, वह हिन्दुस्तान के केवल तीन एक्सचेंज हाउसेज में हो रहा है, माननीय मंत्री जी इसको जानते हैं।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) पीठासीन हुए]

हिन्दुस्तान के जो 22 रीजनल आफिसेज हैं, हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में मालवा एक्सचेंज हाउस चेंबर के नाम पर, वे काम नहीं कर रहे हैं, काम करने नहीं दिया जा रहा है, एफिलिएशन जरूर है। पटना में था, जयपुर में था और अन्य प्रांतों के अंदर था। वे वहां से ट्रेड कर सकते थे। लेकिन वे आज सारे बंद पड़े हुए हैं और ये फॉरवर्ड मार्केट केवल तीन जगह से संचालित हो रहा है और वह सट्टा बाजार बन गया है। यह केवल एक प्रकार से सट्टा चलाने वाले लोगों का चाहे जब जैसे उसके भाव चाहे जिस प्रकार से होता है, उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। मेरा कहना है कि ये जो 22 हाउसेज हैं, जो 22 एक्सचेंज सेंटर हैं आप उनको और एक्टिवेट करें और चालू करें। और वहां से उनको मंडियों के साथ जोड़ें ताकि मालूम पड़े कि हमारा अक्टूबर-नवम्बर में पैदा होने वाला सोयाबीन जाकर दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च में उसका अग्रिम सौदा क्या है, जब वह किसान को मंडी में मालूम पड़ेगा तब किसान अपने माल को रोककर समय पर उसको बेच सकता है। लेकिन आज उसको मालूम ही नहीं है, आज मुंबई और अहमदाबाद के हाउसेज में मालूम ही नहीं है कि कब ऊपर होता है और कब नीचे हो जाता है और किसान लुट रहा है, छोटा व्यापारी लुट रहा है। यह किसान के हित में उसके नाम पर किया गया था, लेकिन आज इसकी हालत वैसी है जैसी शेयर मार्केट की है। फिर भी शेयर मार्केट में सेबी का रेग्युलेशन है, लेकिन इसमें तो कोई रेग्युलेशन एजेंसी

नहीं है, जो इसको रेग्युलेट कर सके, जो इसको संचालित कर सके। इसका आज तक कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि वास्तव में इसका किसान को लाभ दिलाना है तो नीचे के सारे लेवल पर भी उसको लाना होगा, तब जाकर इसका फायदा होगा। बाकी के जो सारे अन्य मुद्दे आए हैं, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि पिछले मार्च, 2005 में भी इस सदन में चर्चा हुई थी, 17 महीने बाद हम सिर्फ उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस 17 महीने के अंदर आत्महत्याओं की संख्याएं बढ़ रही हैं। किसान एक प्रकार हताशा के वातावरण में जी रहा है।

कॉटन की बात हुई, आज कॉटन की स्थिति यह है कि मैं खुद किसान हूँ और कपास पैदा करता हूँ, एकदम महाराष्ट्र के बोर्डर से लगे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आज 1800 रुपए किंगटन में Bt. Cotton में कितनी मेहनत पड़ती है और कितने प्रकार का खर्च होता है। लेकिन क्या 1800 रुपए किंगटन में आज किसानों को कुछ फायदा हो सकता है? यही हालत बाकी की चीजों में है। मैं व्हीट के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज हम बाहर का व्हीट महंगा खरीद रहे हैं लेकिन हम यहां कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही स्थिति धान की है, यही बाकी की चीजों की है। किसान अरहर बेच देता है, लेकिन उसकी दाल बाजार में 60 रुपए किलो में बिकती है, किसान दाल नहीं बनाता है, वह इण्डस्ट्री में, मिल्स में जाकर मिलिंग होने के बाद बनती है। किसान को क्या मिलता है? इसलिए इन सब चीजों पर, समग्र नीति पर, एक कृषि नीति पर समग्र विचार करने की आवश्यकता है, उसमें लोन, उसमें ब्याज रेट, बाकी की चीजें, लगने वाली कॉस्ट और जब हम उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करेंगे, तब जाकर यह सारी स्थिति बनेगी। मैं सोचता हूँ, माननीय मंत्री जी, इस पर विचार करेंगे ताकि भविष्य में किसानों की आत्महत्या को रोका जा सके। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Hon. Members, there are still 15 speakers left, and I would request those Members, who have to speak, to take just five minutes, not more than that. Please don't repeat the points which have already been dealt with. Shri Ravula Chandra Sekar Reddy.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I am the only speaker from my party...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): In any case, the time allotted is three minutes for your party. But you take five minutes.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): I am walking out.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Why?

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Five minutes are not enough for me. This is not fair; as we always come at the end of the debate, we get less and less time. I waited the whole day here, and my number has been going down...(Interruptions)

SHRI AJAY MAROO (Jharkhand): Sir, it is a very important subject.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Joshi, what is your complaint? I am giving my indulgence to you.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: My complaint is this. I gave my name early in the morning. I knew that I would come at the end. But my number has been going down from 6 to 15 to 16...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have not done anything on your number...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I know it is coming in order. But, given the position, I have some signal points...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You will be given time. Please wait. That is why I was trying to tell the House that every Member should stick to his/her time so that everybody gets time. Don't worry. You will get time.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Can't we postpone the rest of the speakers for tomorrow? Let us have enough time.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No. There is already the decision of the BAC that the House should sit up to 8 o'clock and, if necessary, even beyond that.

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, हम बीएसी को मानते हैं। ...(व्यवधान)... सर, हमारी रिक्वेस्ट यह है कि छोटी पार्टियाँ को या इंडिपेंडेंट मेम्बर्स को डिबेट के शुरूआत से समय दिया जाना चाहिए। यह आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: People had wasted time up to half an hour on speeches which meant nothing.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri Ravula Chandra Sekar Reddy.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, thank you for permitting me to participate in this discussion on farmers' suicides and demand for increasing the Minimum Support Price for foodgrains. Sir, we had discussed this subject earlier, on 14th July, 2004, as a Short Duration Discussion, and it was discussed again on 22nd March, 2005. And, on 18th May, 2006, we discussed about import of wheat and its impact on our agriculture. After all these discussions which took place in this august House, what is the net result and what action has been taken by the

Government in minimising the problems of farmers? Sir, I raised this issue during the discussion on 14th July, and I again participated in the debate on 22nd March, 2005. The only thing that I get to hear from the media and other reports that the farmers' suicide cases are on the rise, not only in Andhra Pradesh but also in several other parts of the country. In my own State, right from 14th March, 2005, till 22nd of August, 2006, that is, till yesterday, in this period of two years and four months, 3,247 farmers have committed suicide. We had furnished all the information regarding names of the villages, number of farmers, etc. -- around 2000 farmers had committed suicide -- through a booklet which was also placed before the House. Now, the number has gone up to 3,247. The number of suicide cases is on the rise. I have many case studies done on this. One case study of our State pertains to the Anantapur district which reports how a person named Chennappa from Eluru village of Garladdine mandal committed suicide, what the plight of the farmers there is and what problems his family members are facing. On account of continuous failure of his crops and mounting debts, which seemed irreparable, Chennappa committed suicide by lying down on the rail track. His only son is now facing demands from moneylenders. He feels that he might be forced to choose the same fate, as his father, in order to escape the clutches of these moneylenders.

Sir, there are so many case studies. I have a lot of details, but due to paucity of time, I am not going into the details.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Don't go into the details. It is known to everybody.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, last time, we raised many issues like post-harvest mechanism and all those things. But, today, I will confine myself to two-three points regarding MSP and farmers' suicides. Sir, the question is, why are these suicides taking place? Starting from Andhra Pradesh, now it has gone to Vidarbha. Sir, I am quoting the *Hindustan Times* of 3rd August, "Vidarbha 102 deaths in 32 days. PM's Package fails to save. Caught in debt-trap." Sir, this is the position of Vidarbaha.

Sir, the main problem of the farmers is the rising prices of fertilizers and pesticides, and they are unable to get credit for their cultivation. Agriculture credit has become very difficult. Earlier, we used to get institutional finance. Now, year after year, institutional finance is coming down, though we say that it has been doubled, when compared with the

last three years. But, even today, most of the farmers are approaching the private money-lenders, who are charging exorbitant interest rates. Sir, look at the public investment. During the good olden days, it was 40 per cent. Now, it has come down to 18 per cent. I have the statistics with me, which show how the public and private investments are coming down year after year. Starting from 1984, it was 4.08 per cent of the GDP; now in 2002, it is 1.54 per cent. Sir, it is coming down year after year. Similarly, the private investment is also substantially reduced. Sir, it is the national problem now.

Sir, the thrust on agriculture is reduced, whereas the industrial sector has got more focus. Sir, 91 per cent of our people depend on agriculture or allied sectors. But, out of which, only 13 to 15 per cent are getting institutional finance, the rest of them are going to the private money-lenders. As I said earlier, these money-lenders are charging exorbitant interest rates. Sir, the Regional Rural Banks have failed. Sir, I request the hon. Minister to review the performance of the Regional Rural Banks which were created by virtue of the 1976 Act. Sir, they have now become commercial banks. They are competing on par with the commercial banks, and they are not at all helpful to the farming community.

Sir, now, I come to the cooperative sector. The cooperative sector was created by virtue of the 1904 Act. Now, they have either become defunct or people occupying important positions are attached to political parties. Now, they have become political institutions. The cooperative sector...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Five minutes are over.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, if you want, I will sit down.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, take one or two minutes, and say only the points. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, two minutes will not be sufficient for me to make my points. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Say only the points.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Okay, Sir. I would like to draw the attention of the hon. Minister towards the commitment made to the people by way of the NCMP about agriculture. I quote, "The UPA Government will ensure that public investment on agriculture research and

extension, rural infrastructure and irrigation is stepped up in a significant manner at the very earliest. The rural cooperative credit system will be nursed back to health. Immediate steps will be taken to ease the burden of debt and high interest rates on farm loans. Crop and livestock insurance schemes will be made more effective. The UPA Government will bring forward a constitutional amendment to ensure democratic, autonomous and professional functioning of cooperatives. Farmers will be given a greater say in the organisations that supply inputs to them. The UPA Government will ensure that adequate protection is provided to all farmers from imports, particularly when international prices fall sharply." Finally, the UPA Government has committed, "Farmers all over the country will receive fair and remunerative prices. The terms of trade will be maintained in favour of agriculture." This is the commitment given to the people thorough your NCMP. What exactly is the status now? I request the hon. Minister to have an introspection at the Government level to know whether they have fulfilled any promise made to the people during the last two-and-a-half years.

Sir, regarding Minimum Support Price, in the normal conditions, we have either drought or floods once every four years. We should include the risk component while fixing the Minimum Support Price and that is not being done. The price fixation must be done well in advance, at least thirty days prior to the commencement of the agricultural season.

The most important thing is, we have many Boards like the Tobacco Board, the Silk Board, etc. We now should have a Commodity Board and we should have the price fixation on the basis of zones. We have north zone, east zone, west zone, south zone and north-eastern zone. Sir, the investment in the southern parts of India for raising the paddy crop is more when compared to the north zone. There should be a zonal system and there should be a representative from other zones at the helm of affairs, who can prevail over the people and bring the correct facts to the notice of the concerned people while fixing the price. The interests of farmers as well as consumers should be protected while fixing the Minimum Support Price. If I may say so, instead of the Minimum Support Price, it should be a profitable price to the agriculturists. Otherwise, it is going to be another problem. Again, during the next Session, we are going to discuss the same subject of farmers' suicide. But, time and again, year after year, we are discussing the farmers' suicide in Parliament. I request the hon. Minister to simplify the National Agricultural Insurance Scheme, and I again repeat it, to protect the interests of the small and marginal farmers and provide

institutional finance at the lowest interest rates. Now it is 7 per cent, I request him to reduce it to 4 per cent so that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes farmers, small and marginal farmers sustain. Thank you, Sir.

प्रो० अलका क्षत्रिय (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत में "अन्नदाता" कहलाने वाला किसान आज बहुत बेहाल है। सुबह से शाम तक वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसे अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता है। खेतीबाड़ी आज घाटे का सौदा है, इसलिए ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी को छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इससे शहर में शहरीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है, वह एक दूसरी बात है, जिसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ।

महोदय, खेतीबाड़ी भारत के अधिकांश लोगों का व्यवसाय है। भारत के साठ प्रतिशत से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों की हालत क्या है? कृषि व्यवसाय में जितना निवेश होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। कीटनाशक, फर्टिलाइजर, बीज, बिजली आदि के लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ता है। बैंक उनको लोन देने में आना-कानी करते हैं, जिसके लिए उनको साहूकारों से ऊँची ब्याज दर पर लोन लेना पड़ता है। लोन नहीं चुका पाने के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। यह हमारे देश की एक बड़ी विडम्बना है कि एक तरफ अगर कोई व्यक्ति कार लेना चाहता है, तो उसे कार के लिए लोन मिल जाता है, लेकिन अगर किसान अपने ट्रैक्टर के लिए लोन लेना चाहता है, तो उसे सीधे ट्रैक्टर पर लोन नहीं मिलता है, लेकिन उसे उसके लिए अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है, जो कि एक प्रोडक्टिव लोन है, उससे उपज मिलती है और उपज मिलने की वजह से वह लोन चुका भी सकता है, लेकिन फिर भी उसे सीधे लोन नहीं मिलता है, यह हमारे देश की एक विडम्बना है। दूसरी तरफ, हम देखते हैं कि उद्योगपतियों को बहुत ही सरलता से लोन मिल जाता है, लेकिन आज हम देखें तो उद्योगपति क्या अपने लिए हुए लोन वापस कर रहे हैं? अगर एन.पी.ए. देखा जाए, तो एन.पी.ए. की सबसे ज्यादा वजह उद्योगपतियों को दिया गया लोन है, क्योंकि बैंकों का एन.पी.ए. इसी की वजह से बढ़ता जा रहा है।

सर, दूसरी बात यह है कि किसान सिर्फ खेतीबाड़ी के लिए ही लोन लेता है, ऐसी बात नहीं है। उसकी माली हालत की वजह से, जब घर में कोई बीमार हो जाता है या फिर घर में किसी की शादी होती है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसको जो विधि करनी होती है, उसके लिए भी किसान को लोन लेना पड़ता है और वह ज़मीन पर ही लोन लेता है। वह लोन भी वह नहीं चुका सकता है, इसकी वजह से भी उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बारे में भी हमें सोचना होगा कि इस सामाजिक दायित्व से भी हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं।

सर, हमारे देश में हर साल कहीं न कहीं सूखा और बाढ़ आती है, जिससे करोड़ों रुपए की फसल खराब होती है। हमारे देश में सिंचाई के साधन पर्याप्त न होने की वजह से जब जरूरत होती है, तब पानी नहीं मिलता है और कभी-कभी यह हालत होती है कि इतना ज्यादा पानी बरसता है, जिसकी वजह से सारी फसल बह जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, लेकिन इस पानी के बीच लोग प्यासे ही रह जाते हैं। हमारी नदियों का एक तिहाई पानी ऐसे

ही समुद्र में बह जाता है। देश के किसानों को इस आपदा से बचाने के लिए हमने फसल बीमा योजना शुरू की है, लेकिन जैसा हमने सोचा था, हमें उसका वैसा फायदा नहीं मिल रहा है। जब कोई फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करता है, तो कभी-कभी तो दो-दो साल बीत जाने के बाद भी आवेदक को उसका पैसा नहीं मिलता है। इस कारण किसान को पैसा समय पर नहीं मिल पता है। जब किसान प्राकृतिक आपदा में फंसा होता है, तभी उसे सहायता मिलनी चाहिए। हमारे सदस्य ने यहां पर इस बारे में काफी चर्चा की है, मैं उस पर न जाकर केवल कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। सर, मेरा पहला सुझाव यह है कि फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाना चाहिए और साथ ही अगर कोई आवेदक फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करता है, तो उसे एक निश्चित समय के अंदर फसल बीमा योजना की अदायगी करनी चाहिए। अगर कोई एजेंसी निश्चित समय में रकम की अदायगी नहीं करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, तभी किसान को फसल बीमा योजना का पैसा समय पर मिल पाएगा। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में विदर्भ में सूखे की वजह से काफी किसानों ने आत्महत्या की और जिसकी वजह से हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने यहां का मुआयना किया और उनके लिए करोड़ों रुपये के पैकेज की घोषणा भी की। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में लोग सूखे की वजह से मर रहे हैं और गुजरात महाराष्ट्र में बाढ़ आने के कारण काफी फसल बह गई है, इससे भी किसानों को नुकसान हो रहा है। जब सूखा पड़ता है और किसान आत्महत्या करते हैं, तब तो हम उस एरिया के लिए पैकेज दे देते हैं या फिर जब बाढ़ आती है, तब हम राहत दे देते हैं, ...(समय की घंटी)... लेकिन क्या हमेशा के लिए इसका कोई उपाय नहीं है? हमारे प्रधान मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर नेशनल रेन फंड एरिया अथॉरिटी रचना करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस अथॉरिटी की रचना की जानी चाहिए। इसके लिए इसमें दो मंत्रालय सम्मिलित होंगे, एक कृषि मंत्रालय और दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय। कृषि मंत्रालय के पास उसके लिए टेक्निकल ज्ञान है, लेकिन उसके पास पूरा फंड नहीं है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास फंड है, लेकिन टेक्निकल ज्ञान नहीं है। इसलिए दोनों को एक साथ मिलकर जल्द से जल्द यह रचना करनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : प्लीज कन्क्लूड।

प्रो० अलका क्षत्रिय : सर, मैं प्वाइंट ही दे रही हूँ, मेरे पास दो प्वाइंट और हैं। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में मेरा तीसरा सुझाव यह है कि उनको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो इससे किसानों को उनकी लाभकारी उपज का मूल्य मिलेगा और दूसरे सरकार के पास खाद्यान्नों के स्टॉक का निर्माण भी होगा। अभी हम केवल गेहूँ और चावल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि सभी तरह की फसलों के लिए यह समर्थन मूल्य लागू करना चाहिए। मेरा आखिरी सुझाव है कि बाजार के उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान, या कुदरती प्रकोप बाढ़ या सूखे के कारण जब फसल मारी जाती है, तो उससे होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सुरक्षा कोष प्रदान करना चाहिए, ताकि जब भी किसानों को जरूरत पड़े तो कोष से राहत दी जा सके।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : प्लीज कन्क्लूड। समाप्त कीजिए।

प्रो० अलका क्षत्रिय : सर, मैं कन्फ्यूड कर रही हूँ। हमें सदन के अंदर और सदन के बाहर किसानों की बात तो बहुत करते हैं।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : सात मिनट हो गए।

प्रो० अलका क्षत्रिय : उनकी बात करके कुछ करना भी चाहते हैं और कुछ करते भी हैं, लेकिन जो हमारी घोषणा होती है, उसका जितना फायदा होना चाहिए, उतना किसानों को नहीं मिलता है और अधिकारी काम नहीं करते हैं, हमें इसे भी देखना चाहिए। धन्यवाद।

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, हमारे कृषि प्रधान देश का अन्नदाता किसान अन्न के अभाव में आत्महत्या कर रहा है, यह एक चिंतन और मनन का विषय है। हमारा देश कभी सम्पन्न भारत, जगत गुरु भारत, खुशहाल भारत और यहां तक कि सोने की चिड़िया वाला भारत कहा जाता था। लेकिन आज खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश में जो बच्चा पैदा हो रहा है, उस पर हजारों रुपए का विदेशी कर्ज़ा है। इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में, आज यहां के भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर, दलित, शोषित, मजलूम, सारे लोग, अकेले नहीं, बल्कि पूरे परिवार सहित लगकर 8 घंटे से 12 घंटों तक काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको दो वक्त का पेट भर अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तन ढकने को अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा है, रहने को अच्छा मकान नहीं मिल रहा है और इतना ही नहीं, भूख के कारण किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं, यह एक बहुत ही चिंतन और मनन का विषय है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि कुल आत्महत्याओं में से लगभग 15-16 प्रतिशत संख्या किसानों की है। लगभग एक लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इस देश में पहली हरित क्रांति हुई थी, उसका परिणाम भी सामने आया था कि देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ था, लेकिन जब सरकार ने बाजारवाद की नीति को अपना लिया, तो देश को अब दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। यहां का किसान पहली हरित क्रांति में आत्मनिर्भर भी नहीं बन पाया था और दूसरी हरित क्रांति के नारों तक लाखों किसान या तो अपनी जान गंवा चुके हैं या फिर कर्ज़ के बोझ के नीचे दबे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1987-88 में देश में भूमिहीन तथा सीमान्त किसान 35.4 प्रतिशत व 19.1 प्रतिशत थे और यह संख्या बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 40.9 प्रतिशत और 22.3 प्रतिशत हो गई है। सारे देश में जोतों का क्षेत्रफल भी कम होता जा रहा है - 1985-86 में यह 1.69 हैक्टेयर था, जो 10 सालों में घटकर 1.41 हैक्टेयर हो गया है और अगले 10 सालों में अनुमान है कि यह एक हैक्टेयर हो जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि जब इस तरह से जोत घटते जा रहे हैं, तो उत्पादन भी घटता जाएगा, इसलिए आज सामूहिक कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश का सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र कृषि है, लेकिन हरित क्रांति एवं देश में नए तकनीकीकरण और मशीनीकरण के कारण आज जोताई, बुवाई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, पिसाई, कुटाई, ये सारी चीजें मशीनों से होने के कारण, आज गांवों में मजदूर किसानों के हाथ बेकार होते चले जा रहे हैं और वे मजदूर, गांवों से पलायन करते जा रहे हैं

और उनकी हालत खराब होती जा रही है, इसी खराब हालत के कारण ये आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हमारा मानना है कि इस देश की व्यवस्था गलत है, इस अर्थ में गलत है कि जो यहां पर मेहनत करके, हाथों से काम करता है, अपना खून-पसीना एक करके खेती में लहलहाता हुआ गेहूं पैदा करता है, उसको सबसे निकृष्ट किस्म का या सबसे घटिया दर्जे का व्यक्ति समझा जाता है। जो कलम से काम करता है, उसको उससे superior समझा जाता है और जो बिल्कुल काम नहीं करता है, उसको यहां का लाट साहब समझा जाता है, यही इस देश की व्यवस्था है, जो गलत है और इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि खेती में काम करने वालों को जब तक सर्वोच्च सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक लोग खेती में मन नहीं लगाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि भूमि-सुधार करके खेती योग्य, ऊसर, पड़ती सरकारी जमीन को जरूरतमंद लोगों को वितरित करके, उन्हें रोजगार दिया जाए और कृषि उत्पादन बढ़ाने का मौका दिया जाए।

महोदय, हमारा मानना है कि महंगाई का जो कारण है, मेरी नज़र में बाढ़, सूखा, आदि के अतिरिक्त आज राजनीतिक दलों द्वारा पूँजीपतियों से चन्दे की मोटी रकम लेकर चुनाव में पानी की तरह बहाने का जो काम किया जाता है, वह भी है। चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि सरकार किसी पार्टी की चल रही है, किसी दल की चल रही है, लेकिन जो सहारा देता है, मेरा मानना है कि उसके इशारों की सरकार चलती है। इसी कारण आजादी के बाद इस देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है और महंगाई ही नहीं बढ़ती चली जा रही है, बल्कि आजादी के बाद इस देश में इसी वजह से अमीर-गरीब की खाई भी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगा कर महंगाई को भी रोका जा सकता है और अमीर-गरीब की खाई को रोक कर आत्म-हत्या को कंट्रोल किया जा सकता है।
घन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri K.P.K. Kumaran.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu) : Sir, it is his maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Is it his maiden speech? So, what will I do now? Mr. Kumaran, there is time constraint and yours is a maiden speech. I will not control you. But, you should use self-control.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand) : Sir, it is his maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is why I said that I would not control him. But, he can use self-control.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Baalu is sitting there. He will control him.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is why I said I would not control. He should use self-control.

SHRI K.P.K. KUMARAN (Tamil Nadu): Respected Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to make my maiden speech.

At the very outset, I dedicate myself to Parliamentary democracy of this greatest democratic nation of the world.

I would like to make my humble obeisance to all my elders of this House of elders, in particular to the hon. Chairman, the hon. Deputy Chairman and the hon. Vice-Chairmen who are the custodians of this Chamber.

It is my utmost privilege to be a Member of this august House and wish to express my profoundest gratitude to my party leader, Dr. Kalaignar for giving me this opportunity. With fatherly affection he has bestowed this blessing upon my head and, in the days to come, I shall live up to the trust and confidence that he has placed upon me.

Sir, today, I would mainly like to speak on two points. The first one is that the safety net should be created for the farmers so that there is no question of suicides. And secondly, not only we should ensure their survival but try to ensure maximum profitability for farming operations to enable them to come up in society.

Sir, from time immemorial, the Indian poets eulogized the farmer and his plough in glowing terms. But, as hon. Members have pointed out today the situation is totally different and the plight of farmers is pathetic.

Due to a variety of reasons the farmers are suffering losses. Their input costs are rising. They are not able to get good price for their produce and they are slowly falling in the debt trap. In addition to this, the weather has become very unpredictable. And, every now-and-then, droughts and floods push them further into the debt trap. Rise in education cost and medical cost also further drive them into the clutches of the moneylenders and they see no way out. Some of them have become antisocial and join antisocial movements, whereas others think that it is more honourable to die and take their lives.

Sir, we are all in agreement that this is a shameful situation and drastic measures have to be taken. Otherwise, the misery of farmers would slowly lead to a decline in agriculture production and our food security is threatened. As it is, from a so-called surplus situation, not long ago, in wheat and rice, the country has slipped into a state of shortage, necessitating imports. So, what should be our aim and what steps should

7.00 P.M.

we take? Sir, our primary aim should be to provide a safety net for our farmers. One of the things that we should look into is crop insurance. The Government recognised the importance of crop insurance and in 1999 has formed the Agriculture Insurance Company of India. But, even after seven years of its operation, we have managed to cover only a small percentage of farmers. That means, Sir, we have to change our approach and make crop insurance mandatory.

Now, there is also a regulation that banks have to give a certain percentage as loan to farmers. In the same way, we should make it mandatory that all insurance companies -- now a lot of multinational insurance companies have also come up -- allocate a certain percentage of their business to cover crop insurance. If we can cover the farmers under the crop insurance, loans to farmers can be given against the insured amount without any collateral guarantee. This would free the farmers from falling into the debt trap. There should also be a system for punishing moneylenders who charge unreasonably high rate of interest. This would protect the farmers from taking any drastic step.

In spite of all this, in prolonged situations of droughts or floods, the Government should step in with relief measures. I am proud to place on record that the DMK Government, as soon as it came to power in May, one of the first orders passed by the Chief Minister, Dr. Kalam, was the waiver of farmers' loans to the tune of Rs. 7,000 crores. It is announcement, like this, which offer hope to the farmers that there is someone to safeguard their interests, and refrain them from taking any drastic step.

An excellent scheme, which will act as a safety net, is the National Rural Employment Guarantee Scheme, brought in by this Government under Dr. Manmohan Singh. This is the most compassionate poverty alleviation scheme introduced in Free India. We have to ensure that the roadblocks in its implementation are removed and more districts are covered soon.

Again, in Tamil Nadu, our Chief Minister has announced that rice will be made available to the poor at Rs. 2 per kilogram. It is these types of measures which can alleviate the poverty, and it should be implemented nationwide.

Sir, we talk of suicide by farmers. There is a psychological factor also in it, which we should study. The cultural scenario in the villages has changed dramatically over the years. In olden days, there used to be a song for planting, a song for drawing water, a song for harvesting, so on and so forth. The entire atmosphere was different. There used to be more support from the community and nobody would think of suicide. Over the period of time, the situation has changed. The Government should look for ways and means to revive the old culture. These are things that we can do to provide a safety net to the farmers so that they don't commit suicide. The other thing that we should do is that we make sure that they come up in the society. It is also the political aspect. Nobody can ignore the farmers any more. The last parliamentary elections and some of the State elections have proved that if farmers are not happy the Government will not return to power. So, it makes a political sense to enable the upward mobility of farmers. It also makes economic sense. Our economy is booming at 8 per cent. It was started by a boom in a very small sector, that is, the IT and BPO. This sector grew and spent money on buying houses, buying cars, buying white goods and spending on entertainment. It has created a boom in the variety of industries. Imagine, Sir, if more than 70 per cent of our population had more disposal income. What would happen to our economy? The economy, I am sure, will grow at double the speed and India would take its rightful place on the top of the world as economic superpower. So, we should ensure that farmers get more money by maximising the profit from the farm operations.

Sir, enhancing the quantum of the M.S.P., year after year, has not effected enhancement of the farmers economic or social position.

'Minimum' is the keynote of the system, which has yielded only a minimum benefit, which is the barest minimum for the unbearable ills in the lives of farmers.

A study by the Tata Institute of Social Sciences has found that over a period of 8 years, from 1996 to 2004, the cost of cultivation has outstripped the minimum support price by a big margin, for example, 38 per cent for paddy and 47 per cent for wheat. So, we have to completely modify the procurement price and revise it upwardly immediately so that farmers are able to, at least, retrieve the cost of cultivation. In addition, there should be a mechanism for the procurement price to change from season to season and region to region, based on the cost of cultivation. The cost of cultivation is not enough to the farmers, there should be more

measures to maximise his profits. One of the best ways to do this is to do away with the middleman. Again, I would like to say with some pride Dr. Kalaignar came out with a very novel idea of *Ulavar Sandhai*, means, Farmers' Market. He created Farmers' Markets in all the towns, where farmers could take their produce and the consumers could buy directly, thus, completely leaving the middleman. An additional concept was that farmers could bring their produce through the State Transport Corporation buses plying on their routes. It helps to maximise his returns better. Sir, the Government must seriously look into this proposal and try to implement it nationwide. It is an excellent scheme.

Sir, another thing to look at is contract farming. It is in its nascent stage in India. But this, again, plays the role of bringing the farmer and consumer closer to each other. While we promote contract farming, we should also bring safeguards for farmers so that they do not get cheated by the corporate entities. We should provide legal safeguards for the farmer. And when we promote contract farming, we should also make sure that the indigenous seed varieties do not become extinct by the domination of new and hybrid varieties. A caution also must be taken to ensure that the soil structure is not damaged by rampant use of chemical fertilizers and pesticides. Keeping these cautions in mind, I think, the Government should promote contract farming in a large way. The Government is already encouraging the food processing industry which also has an important role to play in linking the farmers to the final consumers in the domestic as well as international markets. If we can encourage the food processing industry, in the next ten years, our food production can double and we can become a leading food supplier of the world.

We have cold storage facilities for only ten per cent of our fruits and vegetables. It is estimated that 20 per cent of our food is wasted because of lack of proper storage facilities. The Government should encourage the setting-up of cold storage facilities also. The Government should also develop protocols for storage and processing food. When all these food-processing industries grow, the Government should also ensure coordination among the farmers, industrialists, bankers, insurance companies and the scientists. They should form coordination committees to ensure proper coordination between all these sectors. The Government can also help by minimising input costs, and, thereby, making farm operations more profitable. Sir, again, it is pertinent to point out that Dr. Kalaignar

announced free power supply for all agricultural connections in the year 1990. More such incentives are needed for farmers.

The interest rates have been reduced, and there is scope for further reduction.

Apart from these, in the long term, the Government has to invest in irrigation projects. Sir, a lot of coastline land has become salty. The ground water has become salty, and the only way to remedy the situation is by bringing big irrigation projects and water to these parched lands.

Again, spending on research and education has to increase. Other countries have gone way ahead of India in terms of productivity and yield. And after research, we have to provide the information effectively back to the farmers. Maybe, the Government can run 24-hour channel just for agriculture in all regional languages to provide the information back to the farmers. So, all these require investments. ...*(Interruptions)*... The investment in rural development sector has steadily decreased over the last five decades, and it is now only 5.9 per cent of the GDP whereas 70 per cent of our people depend on agriculture. Sir, this trend has to be reversed and we should allocate more and more money to this sector and we are sure to reap the social, economic and political benefits. In conclusion, I hope all the suggestions brought forth by the Members today can be taken up, with a sense of urgency, so that we not only create a safety net for farmers, but also help them to shine in our society. Finally, let us hope that weather gods are benign and bring a bountiful harvest this year. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It was his maiden speech, but he has brought out some new good points.

KUMARI NIRMALA DESHPANDE (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I won't repeat what my friends have already said. I would just like to make a basic point that suicide by farmers is like an alarm bell. It seems that something is basically wrong with our whole agricultural policy, for the last few decades. May I just draw the attention of the hon. Minister --who himself is an agriculturist and, also, I would say, a true representative of the farmers-- that the Mother Earth is in tears? All over the world, a kind of consciousness has developed that we should not exploit the Earth but try to do agriculture in such a way that the Mother Earth will bless all the children, and that is called, in one way, organic farming or we have given it a name, non-violent agriculture. The fertility of the soil is being depleted

slowly and is being lost because of too much doses of chemical fertilizers, pesticides and insecticides. This is a whole cycle. May I just draw your attention to the important book 'Farmers of Forty Centuries' by Dr. King, about more than 100 years back? An agriculture expert, Dr. Howard, was sent by the British Government to teach new agricultural practices to the Indians. When he came to India, especially to Indore, he found out that there was hardly anything he could teach. There was much to learn from the Indian farmers and that is exactly what Dr. King had said: "the farmers of forty centuries like Indians and Chinese have maintained the fertility of the soil for 40 centuries." But now, within a short period, that is being depleted. So, we have to change the whole style of farming and going back to the nature, use all bio-fertilizers like *gobar*, vermicompost, and like that. If we shift to that, we will find that farmers will not have to invest much in farming; they can be self-sufficient. So, there is a whole cycle. If organic fertilizers are given to the soil, plants will become healthy; if plants are healthy, pests don't attack them--- then, you will not require pesticides and insecticides -- and if humans eat those grains, they will also become healthier. So, right from the soil to human being, there is a cycle and this has to be taken into consideration. Let us apply our minds to these basic concepts and take to organic farming, or, the non-violent agriculture. And, last but not the least, in New Zealand, Mr. Peter Proctor has formed a society for organic farming and he has also developed a new technique called cowhorn manure. I won't explain it now, because there is no time. When he was asked by Indian Scientists as to how did you learn that; he said, well, I learnt it from your *Vedas*. In Atharvaveda, there is a kind of technique which explains how to use it. And, with a few grams of that cowhorn manure, you can provide fertilizer to one hectare. It has been studied by many farmers, and even in India, there are small, small pockets where all this is being practised. So, I would like to request the hon. Minister to give a serious thought to the problem of retaining the fertility of the soil, which in turn, will make the farmers to pay less for fertilizers; then there is a healthy soil, healthy plants, healthy human beings and peace in a healthy society. Thank you.

श्री के० बी० शण्पा (कर्णाटक) : सर, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया। यह मेरा पहला भाषण है और बड़े-बड़े दिग्गजों के बीच मुझे बोलना पड़ रहा है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): If it is your maiden speech; then, I will not control you; rather you should exercise self-control.

SHRI K.B. SHANAPPA: Sir, I will always be under your control nothing to worry.

महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं अपनी पहली स्पीच किसानों की डेथ पर देने जा रहा हूँ, जबकि मैंने सोचा था कि यहाँ पर कानून बनाने के समय मैं कुछ मुदाखलात करूंगा। देश में गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में जब कानून बनते हैं, उस वक्त मैं अपना योगदान करूंगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस देश का जे अन्नदाता है, जिसको श्री लाल बहादुर शास्त्री ने *जय जवान, जय किसान* के नाम से पुकारा था और किसान इस देश में रीढ़ की हड्डी के नाम से पुकारे जाते थे, बैक बोन आफ दि कंट्री, but what happened to him all of a sudden? Up to nineties, he was very well लेकिन जैसे ही किसान कम्पिटेशन में गया और यह सोचने लगा कि मुझे ज्यादा उत्पादन करना है, उसके ऊपर बोझ बढ़ने लगा। जैसे-जैसे अरबनाइजेशन बढ़ता गया, किसान के ऊपर बोझ भी ज्यादा बढ़ता गया। वह चाहता तो अपने लिए अनाज का उत्पादन कर सकता था, अपने फैमिली के लिए उत्पादन कर सकता था, अपने बेटों के लिए पैदा कर सकता था, लेकिन 110 करोड़ की आबादी को भी तो उसको देखना था। पहले वह खाद का इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन जैसे ही मल्टी नेशनल कारपोरेशन्स आ गए, बड़ी-बड़ी खाद कम्पनियाँ इस देश में आई गई, कैमिकल्स फैक्ट्रीज आ गई, उसको यह कहा गया कि तुम जो एक एकड़ में चार क्विंटल ज्वार निकालते हो, उसी एक एकड़ में 8 क्विंटल निकाल सकते हो, उसको 8 क्विंटल का लाल दिखाया गया और वह 8 क्विंटल के लालच में चला गया। सर, किसान जो मर रहा है, य स्माल एंड मीडियम फारमर है, बड़ा फारमर कोई नहीं मरा। इस देश में बहुत से कानून बनाए गए। लैंड सीलिंग एक्ट बनाया गया, लेकिन लैंड छोटे-छोटे फारमर्स के हाथ से निकल गई। छोटा फारमर माइग्रेट हो गया, जो एग्रीकल्चर लेबर थी, वह भी अरबन को माइग्रेट हो गई और 1996 के बाद farmers started dying. उसको लोन मिलना कम होता गया, उसने जो लोन लिया था उसको वह वापस नहीं कर सका, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, वह बढ़ता गया। So, he continued to face it, as a result of which, he was forced to commit suicide. सर, दुर्भाग्य की बात है कि आज जो किसान मर रहा है, 60 वर्ष की आजादी के बाद भी उसके बारे में कोई कानून नहीं बनाया जा सका है।

माननीय शरद पवार जी हमारे गुलबर्गा एवं बीदर के नज़दीक के माने हुए किसान हैं। कर्नाटक के अन्दर इतनी तबाही मच गई और जैसे ही विदर्भ में प्रधान मंत्री जी 3,750 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की, कर्नाटक का किसान उस समय आपकी तरफ देर रहा था। वह सोच रहा था कि जैसे ही प्रधान मंत्री जी यहाँ से निकलेंगे तो कर्नाटक आएंगे। लेकिन कर्नाटक की बजाय वह आन्ध्र प्रदेश में चले गए। सर, इस साल कर्नाटक में बाढ़ आई है, खास तौर पर हैदराबाद एवं कर्नाटक में बाढ़ आई और इसमें से भी बैलगांव, बीजापुर, बादलकोट, गुलबर्गा एवं रायचूर क्षेत्रों में अधिक बाढ़ आई, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई, पर बाढ़ जरूर आई। महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में जितनी बारिश हुई कोहिना और उज्जैनी डैम बनने से excess water has been released और जिस घटप्रभा, मल्लप्रभा, कृष्णा और भीमा नदियों के किनारे के गांव पूरी तरह से डूब गए।

सर, मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। हाल ही में वहाँ के डेपुटी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एक डेलिगेशन लेकर आए थे, उन्होंने जान व माल

जितना भी वहां पर नुकसान हुआ है, उसका पूरा ब्यौरा केन्द्र सरकार को दिया। कुल मिला कर इस बाढ़ से 229 जानवर मारे गए, 104 लोगों की जानें गईं, 88,000 hectares of land have been spoiled. किसान इतना अधिक परेशान है। कर्नाटक की सरकार अपनी ताकत के मुताबिक उन्हें जितना भी दे सकती थी, वह उसने दिया। वहां की सड़कें समाप्त हो गईं, bridges have collapsed. Crops have been spoiled and they have come to the Central Government to seek their help. So far, they were expecting that the Government of India would come to their rescue. लेकिन आपके रहते हुए कर्नाटक की सरकार मुश्किल में पड़ गई है। आज आपने आन्ध्र प्रदेश में जाकर 100 करोड़ रुपये की घोषणा की, महाराष्ट्र को आपने 200 करोड़ रुपये की सहायता दी, लेकिन हमारे यहां पर तो 1,400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, उसके बावजूद हमें एक भी पैसा नहीं दिया गया।

Sir, I don't want to go into the politics, यहां पर मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि वहां पर भी एक सरकार है जो प्रजातंत्र की सरकार है। यह सही है कि वहां पर मिलीजुली सरकार है, लेकिन वहां का किसान भी इसी देश का किसान है, वहां पर भी जान एवं माल का नुकसान हुआ है।

सर, हमारे गुलबर्गा जिले में सुरपुर नाम का एक ताल्लुका है, वहां पर लाइटनिंग की वजह से 15 लोगों की जानें चली गईं। हम तो सोच रहे थे कि ऐसे समय में केन्द्रीय सरकार कर्नाटक की सरकार का साथ देगी और आपके रहते हुए मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि आप उनकी मदद के लिए आएंगे।

इसके साथ ही मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पहले ही मैंने कह दिया है कि अध्यक्ष जी की घंटी से पहले मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। मैं आपको एक छोटा सा ब्यौरा देना चाहता हूँ। कर्नाटक में 2001 से लेकर अब तक 8,578 आत्महत्या के केसिज सामने आए हैं, आन्ध्र प्रदेश में 1,926 मामले आए हैं और महाराष्ट्र में 983 मामले आए हैं, लेकिन कर्नाटक को अब तक एक भी पैसे की मदद नहीं मिली है। इसलिए सर, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूँ कि let us not play politics in the matter of farmers' suicide.

कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं और अधिक ब्यौरा नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन हिन्दू बिजनेस लाइन में किसान के बारे में एक कवि की जो बात लिखी गई है - 'डेजर्टेड विलेज', ऑलिवर गोल्डस्मिथ की एक पोइम है, सर, बड़ा अच्छा लगता है यहां पर बोलते हुए, "Ill fares the land, to hastening ills a prey; where wealth accumulates, and men decay. Princes and lords may flourish, or may fade; a breath can make them, as a breath has made. But a bold peasantry, their country's pride, when once destroyed, can never be supplied." Thank you.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Thank you, very much, Mr. Vice-Chairman, Sir. I rise as a very morose and sombre person. As you know and as the Minister for Agriculture knows, the fact that for the last fifteen years two farmers have been committing suicides practically every

hour is a matter of personal tragedy for me. It is not just a social tragedy or a movement's tragedy, it is a personal tragedy for me. The fact that in my region of Vidarbha, the Prime Minister himself went supported by so many eminent economists and could not forge a solution that could give the farmers hope enough to, at least, postpone the decision of suicide by a couple of hours or by a couple of days is personal tragedy for me. Thirty years back, we launched the first farmers' movement in India after the Green Revolution. The Green Revolution had increased the productivity of agriculture by 10 to 15 times and farmers had reached a state where the more they grew, the less they got and that was when the farmers' movement began, and we took an oath, Sir, saying that we will secure for the farmers remunerative prices, the full reward for his toil so that he can lead a life of self-respect and happiness exactly like any other citizen in this country. So, I admit and confess that I have failed because 25 years after I took that oath, for the first time, I find that the whole of India is strewn with bodies of the farmers who found it impossible to make a living and had no hope that their conditions will be any better. Sir, in 1960s, Lal Bahadur Shastri's slogan of '*Jai Jawan, Jai Kisan*' and the accompanying Green Revolution started two processes -- the *Jawan* went on the war front, sacrificed himself and became a martyr; the farmer on the food front tried his best to contribute to the foodgrains production in the country. The Green Revolution happened; the productivity increased. But, at the same time, the Government failed to see that for his added effort he would get an adequate reward. While the productivity grew, while the production grew, the farmers were not able to even cover the cost of production and it is this wound which has gangrened over 50 years. This is a policy was followed regularly over the last 50 years. We don't need to find out whether the BJP Government did it or whether the Congress Government did it. All that you have to see is during which period was the farmers' subsidy negative. If that was negated, that means that Government is guilty of farmers murder. If they imposed negative subsidies, they are also guilty of that murder. The simple index is, did you have a negative effort or a positive effort. Sir, C. Subramaniam, for the first time, pointed out that with the Green Revolution, farmers have to be given an adequate remuneration. He appointed an Agricultural Prices Commission that was his creation. Sir, for the first five years, the Agricultural Prices Commission did succeed in giving comfortable prices to farmers which resulted in not only agricultural growth in Punjab, but even industrial development in Punjab. But after those five years were over and after Indira Gandhi became the Prime Minister,

systematically, and I request the Minister for Agriculture to check it up, the Chairmanship of the Agricultural Prices Commission had been given to a Leftist who was, to start with, against the farmers, calling them *kulaks*, etc. It is the appointment of Leftist Chairmen which resulted in farmers getting inadequate prices.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, he is referring to Shrimati Indira Gandhi.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Why is he interfering? He can talk afterwards.

SHRI JANARDHANA POOJARY: You cannot criticise Shrimati Indira Gandhi....(*Interruptions*)...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I am not conceding.

SHRI AJAY MAROO: Sir, Mr. Poojary should address the Chair.

SHRI JANARDHANA POOJARY: You cannot....(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, Mr. Poojary....(*Interruptions*)...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: After the death of Pt. Nehru....(*Interruptions*)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Shrimati Indira Gandhi gave land to farmers.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Poojary, please....(*Interruptions*)...That is enough. Mr. Joshi, please come to the point.

SHRI SURENDRA LATH (Orissa): Sir, hon. Member should address the Chair.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I am not conceding.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Shrimati Indira Gandhi....(*Interruptions*)...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: It is a gangrene wound for the last 50 years....(*Interruptions*)... I stand by every word that I have spoken.

श्री रुद्रनारायण पाणि : इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ने वाले आपके पास बैठे हैं ;
...(*व्यवधान*)...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I would advice you to do some studies.

SHRI V. NARAYANASAMY: What the hon. Member has said about Indiraji is contrary to the truth...*(Interruptions)*... It was only during Indiraji's time that there was the Green Revolution in this country. I know his sentiments. He is criticising the Left without....*(Interruptions)*... He is doing injustice to the farmers...*(Interruptions)*...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, I will complete the sentence that it is a gangrene wound....*(Interruptions)*...I am not conceding....*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पचौरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, हम लोग एक मर्यादित ढंग से अपनी बात रखें।
...(व्यवधान)...

श्री शरद अनंतराव जोशी : आपसे मुझे यह सबक सीखने की जरूरत नहीं है।
...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : और जो ऐसी चीज है, जो आपत्तिजनक है, तो कृपया उसे सदन की कार्यवाही से विलोपित करें। ...(व्यवधान)...

श्री विक्रम वर्मा : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप बतायेंगे कि इसमें क्या आपत्तिजनक है? ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, take your seat. Mr. Vikramji, your leader is speaking.

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।
...(व्यवधान).... एक नया सिस्टम कल परसों से हम लोग यहां देख रहे हैं। पार्लियामेंट की डिबेट में प्रतिपक्ष आलोचना तो करता ही है, लेकिन सत्ता पक्ष को पता नहीं क्या हो गया है कि इनको कोई स्वस्थ आलोचना भी सहन नहीं होती है। यह उनका असेसमेंट है, जिस असेसमेंट को उन्होंने सदन में रखा और मंत्री जी से कहा कि इस बात की जांच कर लीजिए। ...(व्यवधान).... उनका यह आकलन है। ...(व्यवधान).... उनका यह आकलन है। ...(व्यवधान)...

श्री विक्रम वर्मा : क्या इसी तरह से होगा? ...(व्यवधान).... हर बार खड़े हो जाते हैं।
...(व्यवधान)...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I have said....*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभाध्यक्ष जी, ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY : When he is telling something....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, take your seat ...(*Interruptions*)... See, this is an important discussion. We have no time. There are about eight more speakers. Now, I will see through the records. If there is anything objectionable, it will be deleted.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न है। If there is anything objectionable. तो उसे विलोपित कर दिया जाए, संसदीय कार्यमंत्री ने कहा, किन्तु विलोपित करने के भी कुछ नियम हैं। ...(*व्यवधान*)... अगर कुछ असंसदीय कहा हो...(*व्यवधान*)...

श्री सुरेश पचौरी : मैंने केवल कहा कि यदि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो...(*व्यवधान*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : श्रीमती इंदिरा गांधी शब्द न तो असंसदीय है...(*व्यवधान*)...

श्री सुरेश पचौरी : मैंने यही कहा है कि यदि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है ...(*व्यवधान*)... और मर्यादित ढंग से उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है ...(*व्यवधान*)... वे तो रूल्स को ...(*व्यवधान*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : श्रीमती इंदिरा गांधी शब्द न तो अमर्यादित है, श्रीमती इंदिरा गांधी शब्द न असंसदीय है, न गैर-शालीन है। लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना करने का प्रतिपक्ष को अधिकार है।...(*व्यवधान*)...

श्री सुरेश पचौरी : मैंने मर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया है।...(*व्यवधान*)... मर्यादा का यदि कोई पालन नहीं करता है तो ...(*व्यवधान*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : संसदीय कार्यमंत्री जी, कुछ तो आलोचना करने का अधिकार देंगे या नहीं? ...(*व्यवधान*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Sushmaji, you made your point. Now, you take your seat.

श्रीमती सुषमा स्वराज : आलोचना करने का अधिकार है या नहीं या वह भी न कहें हम? ...(*व्यवधान*)...

श्री शरद अनंतराव जोशी : सर, मैंने यह कहा, कौन सा राष्ट्र...(*व्यवधान*)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, I am on a point of order. ...(*Interruptions*)... Sir, it is 238A. ...(*Interruptions*)... Sir, the question is not that it is against the party, it is the criticism of the former Prime Minister who is no more. Why should he criticise?...(*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Poojary, I have already given the ruling. ...(*Interruptions*)... I will go through the records and if there is anything objectionable, I will expunge it. ...(*Interruptions*)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, she is no more.
...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have given the ruling, please. Please sit down. ...(Interruptions)...

SHRI SURENDRA LATH: Sir, we have a right to criticise.
...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have already given the ruling. ...(Interruptions)...

श्री रुद्रनारायण पाणि : आप बताइए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have already given the ruling. ...(Interruptions)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : हमें तो जनता ने भेजा ही इसलिए है कि आपकी आलोचना करें। ...**(व्यवधान)**... हमें तो इसीलिए जनता ने भेजा कि हम आपकी आलोचना करें और आलोचना आपसे सहन नहीं होती।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : सुषमा जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... I have already given the ruling. And, if there is anything objectionable, it will be expunged. ...(Interruptions)....I will go through the records. Mr. Pani, please take your seat. ...(Interruptions)....Your Leader is speaking.

श्री सुरेन्द्र लाठ : आप बताइए, कौन से कानून में है कि क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते?
...**(व्यवधान)**...

SHRI JANARDHANA POOJARY: You are great people.
...(Interruptions).... You praise her. Don't criticise her. ...(Interruptions).... Today, she is not.**(Interruptions)**...

श्रीमती सुषमा स्वराज : आज पंडित नेहरू नहीं हैं तो क्या पंडित नेहरू की नीतियों की आलोचना नहीं होगी? ...**(व्यवधान)**... आज पंडित नेहरू की नीतियों की आलोचना नहीं होगी? ...**(व्यवधान)**... जिन्होंने देश पर चालीस साल राज किया है, क्या उनकी नीतियों की आलोचना नहीं होगी? ...**(व्यवधान)**... इसलिए क्योंकि आज वे लोग नहीं हैं?...**(व्यवधान)**... पंडित नेहरू की नीतियों की आलोचना भी होगी, श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों की आलोचना भी होगी इसलिए हम लोग विपक्ष में...**(व्यवधान)**... अगर देश पर राज करते हो तो नीतियों की आलोचना करवाने का ...**(व्यवधान)**... अगर देश पर राज करते हो तो प्रतिपक्ष को यह अधिकार दो कि वह आपकी नीतियों की आलोचना कर सके।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): सुषमा जी, आप बैठिए। Mr. Joshi, you please continue. ...(Interruptions)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: That is what you don't know.
...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Joshi, please come to the point of farmers' suicide. ...(Interruptions)... Mr. Poojary, please take your seat. ...(Interruptions)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: You follow the rules.
...(Interruptions)...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: We are following the rules.
...(Interruptions)... हेकड़ी से राज मत चलाओ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please take your seats. ...(Interruptions)... Mr. Joshi, you please come to the point. The issue is suicide committed by farmers. You are a well-experienced leader of farmers with lot of knowledge. Give your suggestions rather than going astray from the main point.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, I am giving the suggestion but I have to do the diagnosis. How can I give the prescription without diagnosis? What I said, Sir, is whether the Government was good to the farmers or not, can be examined by an objective criterion, i.e., whether during that period, the AMS was positive or negative. I gave a very positive criterion. You can examine it. And, then, I said, all this period, the AMS was negative.

Finally, Sir, I came to the conclusion that the gangrene wounds of the farmers over these fifty years are now expressing themselves in the form of suicides. Now, I will come to the prescription as to what has to be done, and, these are very concrete suggestions. I think, what the Prime Minister could not achieve in going to Vidarbha, you will be able to achieve that, if you show the necessary courage.

Firstly, providing additional credit is not going to help. When the Prime Minister declared from the Red Fort that the supply of credit has increased from Rs. 87,000 crores to Rs. 1,68,000 crores, a senior officer of NABARD was declaring that not only the refinancing has come down, but the cooperative banks are also not giving loans at seven per cent because they have certain apprehensions about the policy of seven per cent. At the same time, Sir, they expressed the doubt that even though the amount had increased, the number of beneficiaries had not increased. That means that the same people were getting the new loans as well. Now, if this is the

situation, additional credits are not going to help the farmers. On the other hand, additional credits will get them into further indebtedness.

The second thing, Sir, it is a finding of a very respectable body that 40 per cent of the farmers want to leave the agriculture because they find that it is no more possible to live in it. And, I had made a suggestion that most of the farmers, and this is something that I am prepared to convince the farmers about; if the Agriculture Minister shows the courage, the farmers, even though they talk of the black mother, the mother earth, etc., in fact, whenever they get an opportunity, they quit agriculture. They vote by feet. I think, what should be done is, as happened before the Green Revolution, the farmers got a chance to quit because of the tenancy legislation, because of the Ceiling Act, etc., they have to be given some kind of a vent out, a kind of a golden shake hand, a voluntary retirement scheme by developing a land market where the farmers can offer land for sale and those who think they can do better in agriculture, can purchase the land and come in. That is going to be the best solution for giving a ray of hope to the farmers.

Thirdly, Sir, talking particularly about Vidarbha, I have said that the accentuating cause in Vidarbha has been the joining of Vidarbha, for political reasons, into Maharashtra. That has resulted into a cotton monopoly scheme which has resulted in a very massive exploitation of the cotton-growing farmers in Vidarbha and diversion of irrigation funds from Vidarbha to south Maharashtra on the pretext that if that water is not saved, it will go to Karnataka or Andhra Pradesh. I think, Sir, if the present Government makes an announcement, it is already talking about Telangana, that they will also give serious consideration to the separation of Vidarbha, that itself will be a good signal, and I can say that we will stop most of the suicides. *(Time-bell)*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude it now.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Okay, Sir. I am glad that the Minister for Agriculture's party has already given a sort of green signal to the idea of Vidarbha, provided the people support it. And, I hope, ultimately, it will result in the formation of a separate Vidarbha. On that day onwards, Sir, I give a guarantee that there will not be a single suicide in Vidarbha.

One more thing, Sir. Prepare a help line network so that the farmers, who feel desperate, can contact you and then go and contact them. Don't pay them Rs. one lakh after they are dead. Go and contact them and find out what precisely are the problems of that family and try to resolve them.

Last but not the least, don't pay compensation for people who commit suicide because that actually encourages suicides. People find that if they get money, then, it is worthwhile committing suicide, and, at least, rest of the members of the family will live happily. And, there is a doubt that, at least, in some cases, the old people may have been disposed of and shown as suicide. This is a very dangerous precedent, Sir, and, I think, encouraging what is, in law, a crime. *(Time-bell)* Giving them Rs. one lakh as compensation is bad in law, bad in morals. And, I hope the Minister for Agriculture will review the situation and will take some positive steps that will put an immediate halt on suicides. Thank you, Sir.

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, I am grateful that you have given me the opportunity. I hope that you will not intervene.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You have to complete in five minutes.

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, I come from Vidarbha.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, okay, you can take a little more time.

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, आज यह जो चर्चा हो रही है, farmers की suicides के संबंध में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कृषि नीति जिम्मेदार है या हमारी फाइनैस नीतियां जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं? मैं विपक्ष के उन नेताओं से सहमत हूँ कि यहां पर फाइनैस मिनिस्टर या फाइनैस मिनिस्टर साहब के किसी नुमाईदे का होना आवश्यक था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चर्चा जो है, यह फाइनैस से संबंधित है। हम लोग यह मानते हैं कि यह कृषि से संबंधित है, कृषि का विषय है और हमारे मिश्र जे बोलकर गए कि खेल और यह सब चीजें उसके साथ हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कृषि नीति एक बात है और फाइनैसिंग दूसरी बात है। बहरहाल, ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं, इसमें नीति भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और यह जो एन.डी.ए. की गलत नीतियों की वजह से किसानों की आत्महत्या का सिलसिला चालू हुआ है ...*(Interruptions)* ...*(व्यवधान)*... ...*(Interruptions)*.. एन.डी.ए. की गलत नीतियों, किसान विरोधी नीतियों की वजह से आत्महत्याओं का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसे हमारे प्रधान मंत्री पूरे प्रयत्न करने के बावजूद भी निपटा नहीं पा रहे हैं। ...*(Interruptions)*.. ...*(व्यवधान)*... ...*(Interruptions)*..

श्री रुद्रनारायण पाणि : एनडीए के समय में कितना असर था और यूपीए के समय में कितना असर है। ...**(व्यवधान)**...

प्रो० अल्का क्षत्रिय : असर तो बाद में ही होता है। ...**(व्यवधान)**... असर तो बाद में ही होता है। ...**(व्यवधान)**... उसी दिन असर थोड़े न दिखाई देगा, असर तो बाद में ही दिखाई देगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि : अब कितना असर होगा, यह बताइए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : मिस्टर पाणि, आप बैठिए। Please, don't waste time.

श्री विजय जे० दर्डा : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी इनके नेता ने बताया है कि क्रिटिसिज्म को हज्म करना सीखें। जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो ये इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Don't interrupt like this. We have very limited time.

श्री विजय जे० दर्डा : भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत भाग अभी भी गांवों में रहता है। यहां अभी भी 65 प्रतिशत लोग कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की एक चौथाई हिस्सेदारी है, जो धीरे-धीरे कम होती जा रही है, परन्तु आज कृषि और किसान दोनों की हालत अत्यंत गंभीर है। गरीबी, बीमारी और कर्ज से दबा हुआ किसान इस कदर हताश है कि वह आत्महत्या कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि वह आत्महत्या कर रहा है, यह देखने की आवश्यकता है। इसके लिए कृषि नीति जिम्मेदार है या वित्तीय नीति की जिम्मेदारी है या उसको देखने की जरूरत है। जैसा अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा. करुणानिधि जी ने जो नीतियां वहां पर अपनाई हैं, उनका भी अभ्यास किया जाना चाहिए, अगर वह आवश्यक हो तो देश में उनका भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यह पाते हैं कि किसानों की कर्जदारी 1990 के दशक के बाद बढ़नी शुरू हुई और 1991 तक केवल 25 प्रतिशत किसान कर्जदार थे। कई राज्यों में अब यह संख्या बढ़कर 60 प्रतिशत तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में यह संख्या 60 प्रतिशत है और आंध्र प्रदेश में 70 प्रतिशत है और खुशहाल पंजाब में यह संख्या करीब 65 प्रतिशत है। इस बढ़ती हुई कर्जदारी का क्या कारण है? 2003 में प्रकाशित RBI की रिपोर्ट के अनुसार World Bank के हस्तक्षेपों के कारण छोटे और मझोले किसानों को सरकारी बैंक और सहकारी संस्थाओं से ऋण मिलना धीरे-धीरे कम होता गया। यह ऋण 1990 में 15.9 प्रतिशत से घटकर 2003 में 9.8 प्रतिशत रह गया है। इस कारण छोटे और मझोले किसान private moneylenders के पास जाने लगे, जोकि 40 प्रतिशत या उससे भी अधिक ब्याज लेते हैं। इसके चलते आज हमारे देश में साढ़े चार करोड़ किसान भयंकर कर्ज में डूबे हुए हैं।

सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए, देश के चार राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में 31 जिलों में जो अत्यंत प्रभावित जिले हैं, उनको चुना है और उनके लिए एक special rehabilitation package देने की घोषणा की है। सबसे पहला पैकेज महाराष्ट्र

के विदर्भ के 6 जिलों में वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुलडाना और वाशिम में लागू किया है। यह 3750 करोड़ रुपए का पैकेज अन्य long-term measure के अलावा, जो प्रावधान तुरंत किसानों के लिए लाभकारी है, वह है, 217 करोड़ रुपयों की ब्याज में छूट तथा इसके साथ ही 1275 करोड़ का नया credit inflow है। परन्तु यह प्रश्न उठता है कि यह कितने किसानों के लिए यह लाभप्रद है। इन 6 जिलों में 17.5 लाख किसान हैं, तो 1275 करोड़ रुपए का ऋण 7285 रुपए हर किसान के हिस्से आता है, जो कि न के बराबर है। इसके अलावा इस पैकेज में उन किसानों के लिए, जिन्होंने private moneylenders से कर्ज ले रखा है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। यह भी देखने में आया है कि जिन किसानों ने suicide किया है, उन्होंने private moneylenders से कर्ज लिया था, जो कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक ब्याज दर लेते हैं, ऐसा एक सर्वे में पाया गया है। केरल के व्यनाड जिले में तो ब्याज की दर 60 प्रतिशत तक सुनने में आई है। यह किसानों के साथ इतना बड़ा मजाक है। अगर आज हम लोग मर्सिडीज कार खरीदने जाते हैं, तो 5-6 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध हो जाता है, लेकिन खेती के लिए 14 से 40 प्रतिशत तक का ब्याज देना पड़ता है, यानी कही कहकहे हैं, कही अट्टहास है और कहीं मुस्कुराहट भी नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दो और चीजों का इस पैकेज में जिक्र नहीं है - पहला किसान को फसल के remunerative price और दूसरा किसानों को cash crop के अलावा कुछ और उगाने के लिए प्रोत्साहन। कपास के support price बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने विदर्भ के 6 जिलों के लिए 712 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर दिया, क्या सरकार पूरा न सही, कम से कम 50 या 75 प्रतिशत ऋण माफ नहीं कर सकती? अगर यह हो जाए, तो किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और किसान नए सिरे से जी सकेगा, मुझे ऐसा लगता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की है कि 2006-07 का साल हम "किसान" वर्ष के रूप में मनाएंगे, जिससे किसानों को कृषि में दोबारा विश्वास पैदा हो सके। इस आयोग के अध्यक्ष Dr. M.S. Swaminathan एक बहुत ही काबिल वैज्ञानिक हैं और उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसने कृषि और किसानों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जैसे -

1. मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए व्यापक कदम।
2. Water harvesting and Conservation जिसमें ग्राम सभा को पानी पंचायत के अधिकार देना।
3. Credit Policy में सुधार तथा किसानों को credit and insurance के बारे में जागरूक करना।
4. Scientific "know how" और field level "do how" की दूरी को कम करना (उत्पादन और कटाई के बाद तक)।
5. किसान को अपनी फसल का जो पैसा मिलता है और शहर का उपभोक्ता उसी फसल के जो पैसे देता है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, इसको कम करना होगा।

इसके साथ-साथ आयोग ने National Rural Employment Guarantee Programme का भी उपयोग करने का सुझाव दिया है। इन सभी सिफारिशों को सरकार किस तरह से देखती है और इनके अमल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 1993 से 2003 के बीच 1,00,248 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। विदर्भ में इस वर्ष 704 किसानों ने आत्महत्या की है और इनमें से 102 किसानों ने PM के Relief Package की घोषणा करने के बाद आत्महत्या की है। यह औसत प्रतिदिन चार का आ रहा है। Two minutes, Sir. Now, I am just concluding.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude.

श्री विजय जे० दर्डा : इनमें सभी ने Private Money Lenders से कर्ज लिया था। यहां तक पढ़ने में आया है कि इस क्षेत्र के 80 प्रतिशत किसान Private Money Lenders से कर्ज लेते हैं और Public Sector Banks, कृषि क्षेत्र के केवल 10 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं। देश भर का पेट भरने वाला किसान आज मर रहा है। आज कृषि करना एक लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गया है। कृषि में लागत बहुत बढ़ गई है और पैदावार कम हो गई है। आज किसान को फसल की सही कीमत नहीं मिलती। कई बार फसल बरबाद हो जाती है, कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है, परिवार का भरण-पोषण मुश्किल से हो पाता है और किसान अपने आपको लाचार पाकर ईश्वर के दिए हुए इस जीवन को खत्म कर देता है, जिसे हम लोग आत्महत्या कहते हैं। आज के किसान का जीवन केवल दो पंक्तियों में बयान किया जा सकता है ...**(समय की घंटी)**... Sir, give me just five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. Please conclude in one minute.

SHRI VIJAY J. DARDA: For whole day, I am sitting here. Give me just five minutes. This is very serious मैं इन दो पंक्तियों में किसान के जीवन की बात कहना चाहूंगा -

" चंद आहें, चंद आंसू, चंद हल्की सिसकियां,
जिंदगी और जिंदगी का साजो सामान देखिए"।

और कितने दुःख की बात है कि ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I gave you more time because you are from Vidarbha. But don't take too much time.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, maximum suicides are from his district.

SHRI VIJAY J. DARDA: Thank you, Sir. कर्ज में डूबे हुए विदर्भ के किसानों की आत्महत्याओं की शृंखला अकेले महाराष्ट्र में ही नहीं, 21वीं सदी में भारत की सबसे त्रासदीपूर्ण और ग्लानिर्भय शृंखला है, क्योंकि इसकी तुलना इस बीच देश में हुई अन्य किसी भी

विनाशकारी दुर्घटना से नहीं की जा सकती। समुद्री तूफान 'सुनामी' से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह प्रकृति का आकस्मिक कोप था और किसानों की निरन्तर आत्महत्याएँ मानव निर्मित हैं। मौत के आँकड़े की बाजीगरी अगर कम पड़ जाए, तो इसी से जुड़ी विदर्भ-महाराष्ट्र की साल दर साल चलने वाली कुपोषण की समस्या है, जो उसके साथ जुड़ी हुई है।

सर, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये लोग, बैंक के सर्कुलर निकालने के बाद, नाबॉर्ड ने प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद एक सर्कुलर भेजा, और उसमें कहा गया है - बकाया। बकाया शब्द आ जाने से जो loan देना है, उस पर असर पड़ रहा है। उसी प्रकार प्रकाश विष्णु हेलोडे नाम के एक किसान ने खेती के साथ मिला कर दूध का व्यवसाय करने के लिए स्टेट बैंक, मेट पांझरा से 1.50 लाख रुपए का कर्ज मांगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसको सरकार को एग्जामिन करना चाहिए कि उनकी नीतियों को बैंक्स किस प्रकार से नज़रअंदाज करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की मेट पांझरा, ताल्लुक काटोल, जिला नागपुर में प्रकाश विष्णु हेलोडे नाम के एक किसान ने अर्जी दी और बैंक के मैनेजर ने उस पर अंग्रेजी में लिख दिया, "क्या आपको गाय का दूध निकालना आता है", इसका सर्टिफिकेट लेकर आइए। किसान ने कहा, "मैं अंग्रेजी नहीं जानता। दूसरा मैं किसान हूँ, मुझे दूध कैसे निकालना है, यह किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सर्टिफिकेट कौन देगा? मैं आपको 25-30 लाख रुपए की मेरी जमीन गिरवी के रूप में दे रहा हूँ" - सर, बहुत सीरियस मामला है - "25-30 लाख रुपए की जमीन गिरवी रख रहा हूँ और उसके बावजूद भी आप मुझे कर्ज नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट लेकर आइए।" सर, इसे एग्जामिन करना चाहिए। इसके लिए मैं यह कहूँगा कि जिस प्रकार से इन्दिरा गाँधी जी के जमाने में जनार्दन पुजारी जी, जो यहाँ संसद में बैठे हुए हैं, जब वे बैंकिंग फाइनांस के मिनिस्टर थे, तो वे लोगों के बीच में जाते थे और वहाँ जाकर उन्होंने loans का वितरण किया। आज हम लोग उसका असर देख रहे हैं कि जो गरीब किसान थे, बेरोजगार युवक थे, वे आज अपने पैरों पर खड़े हैं। इसके लिए व्यक्ति का संवेदनशील होना आवश्यक है। उसे गरीबी देखनी चाहिए। इन्होंने इसे देखा है, इसलिए वे वहाँ पर जस्टिस कर सके।

सर, प्रधान मंत्री जी जब यवतमाल में आए थे और जब वे किसानों के उस परिवार से मिले थे, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा सुसाइड्स हुए हैं, उस समय लोगों ने मांग की थी कि कृषि के साथ कृषि को उद्योग से जोड़ने वाले व्यवसाय होने चाहिए। यहाँ पर कपास होती है। अगर यहाँ पर कपास होती है, तो उसके साथ उद्योग होना चाहिए, गन्ने के साथ उसका उद्योग होना चाहिए या दूसरी एलाइड इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। उसी समय उन्होंने मांग की थी कि हमारे यहाँ पर एक रेल लाइन होनी चाहिए - वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ लाइन। यह इस क्षेत्र में रहने वाले किसान भाइयों तथा व्यवसायियों के लिए लाइफलाइन बन सकती है। उस समय प्रधान मंत्री जी ने यह बात भी कही थी कि मैं इसके ऊपर अवश्य देखूँगा। उसके बाद वहाँ पर रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी भी गए थे और जब वे किसान भाइयों से मिले, उन्होंने भी इस बात को देखा, तब उन्होंने भी यह कहा और उन्होंने वहाँ पर यह घोषणा भी की थी। मैं चाहूँगा कि प्लानिंग कमीशन उसकी तरफ ध्यान दे। वह सिर्फ यह कहे कि यह feasible नहीं हो सकता है और उसके लिए फाइनांस नहीं है, तो इसके लिए उसको रोकना नहीं चाहिए।

अन्त में, मैं अपने भाषण को समाप्त करते हुए यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पर PURA (Providing Urban Amenities in Rural Areas) की हम लोग बात कर रहे हैं। कम-से-कम

8.00 P.M.

किसानों को उनके जीने का वह हक दे दो। हमारे गाँव का किसान आज भी जमींदारी प्रथा के नीचे दबा हुआ है और मुझे दिनकर जी की वे पंक्तियाँ याद आती हैं कि

श्यानों को मिलता दूध भात
भूखे बालक अकुलाते हैं
माँ की हड्डियों से चिपक ठिठुर
जाड़े की रात बिताते हैं
युवती की माल बसन बेच
जब ब्याज चुकाए जाते हैं
मालिक तब तेल फुलेलों पर
पानी सी द्रव्य बहाते हैं।

आज इस वक्त को बदलने की जरूरत है। अगर आपने किसानों की आह नहीं सुनी, तो यही चीख इंकलाब में बदल जाएगी। धन्यवाद।

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने यह इश्यू उठाया और इस पर यह डिस्कीशन हुआ था कि यह डिस्कसन किया जाए। मगर मेरी बदकिस्मती यह है कि मुझे सब से आखिर में टाइम मिल रहा है, लेकिन यह अच्छी बात है कि माननीय शरद पवार जी जो खुद फार्मर हैं, वह सारी बहस सुन रहे हैं।

सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जितनी बहस हुई, उस में एक ही बात लग रही थी कि यह सारा केस विदर्भ और महाराष्ट्र का है। सर, यह सब को पता है कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लाया? इसे हरियाणा और पंजाब के किसान लाए। जब से भारत आजाद हुआ है, पंजाब व हरियाणा देश का bread basket बना है और जो सेंट्रल पूल है जिस में कि सारे देश की प्रोक्यूरमेंट होती है, उस का 80 परसेंट हरियाणा और पंजाब से आता है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने देश के भले के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और आज हालत यह है कि इन स्टेटों का इश्यू आ ही नहीं रहा है। सर, आज सब से ज्यादा agitation पंजाब व हरियाणा में हो रहा है। दस दिन पहले सारे पंजाब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एम0एल0एज0 led by श्री प्रकाश सिंह बादल यहां मुजायरा करने आए थे। सारे हरियाणा में चौटाला साहब की पार्टी हर रोज मुजायरे कर रही है कि आज हमारे किसानों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। हमारी भारतीय किसान यूनियन के हजारों लोग हर रोज जंतर-मंतर पर बैठते हैं। सर, इस वक्त wheat व paddy की प्राइसेस का कष्ट सब से ज्यादा है क्योंकि इन का सब से ज्यादा प्रोडक्शन यहां होता है, इसलिए यह कष्ट उन को है।

सर, एक बात और अभी तक नहीं आई कि आज सब से ज्यादा कर्जा भी हरियाणा व पंजाब के फार्मर्स के सिर पर है। इस वक्त इंडिया में जो highest debt है, वह हरियाणा व पंजाब के फार्मर्स के ऊपर है, लेकिन आज जितनी भी बहस हुई, उस में हमारी बदकिस्मती है कि पंजाब व हरियाणा में जो रूलिंग पार्टी है, शायद वह फार्मर्स के हक में नहीं है या वह और कामों जैसे SEZ या बिल्डर लॉबी की मदद में लगी है। आज जो पार्टी किसानों की सड़ी में लीडर है,

वह एजीटेशन कर रही है। इसीलिए दोनों मुख्य मंत्रियों ने आज तक यह भी नहीं बताया कि हमारी दोनों स्टेट्स में क्या हालत है?

सर, अभी suicide की बात हो रही थी। हमारे यहां ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चैयरमैन मि० जैजी ने एक आर्टिकल छपा है कि इस बीमारी में पंजाब के हजारों किसान भी आ जाते हैं। मैं यह सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आज जो इंडिया में हो रहा है, उस में पंजाब व हरियाणा को भी देखा जाए।

सर, मैं दो-तीन बातें कहूंगा। माननीय कृषि मंत्री जी, जो यह पैड़ी की बात हो रही है, यह पैड़ी तो अभी खेतों में है और इस समय हरियाणा, पंजाब, यू०पी० और आंध्र प्रदेश के सभी किसान पैड़ी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। अभी तक हरियाणा में 50 परसेंट rain कम हुई है जिस कारण पंजाब व हरियाणा में drought की पोजीशन prevalent है। उस से फर्क यह है कि अभी जो पैड़ी खेतों में खड़ी है, उस को पानी की जरूरत है और बिजली है नहीं। सर, आज पंजाब व हरियाणा में बिजली लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन चुकी है। वहां 3-3, 4-4 दिन बिजली नहीं आती है। लोग कहते हैं कि चलो ट्यूबवैल चलाएं, लेकिन उस के लिए बिजली नहीं है। अब वे पंपों पर आ गए हैं। ये डीजल के पंप्स हैं, लेकिन जब उन्होंने ये पंप्स शुरू किए तो डीजल की प्राइस 15 से 32 रुपए हो गयी। फिर भी हर आदमी डीजल पर निर्भर है। सर, अभी एक नया सर्वे आया है कि पंजाब और हरियाणा में पानी का लेवल नीचे चला गया है। हमारे लुधियाना के वाइस-चांसलर मि० ओलख ने एक सर्वे निकाला है कि एक साल में 73 सेंटीमीटर पानी नीचे चला गया है। उस से हालत यह है कि जो हमारे नॉर्मल पंप्स हैं, वे पानी नहीं खींच पा रहे हैं। इसलिए वहां का किसान submersible पंप्स लगा रहा है जिस की कीमत एक लाख रुपए आती है क्योंकि everyone wants to save his crop. इसलिए वह पंप लगा रहा है ताकि नीचे धरती से पानी ला सके। उस की कास्ट एक लाख रुपए है जिस के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अब वह फार्मर जो आप को पैड़ी दे रहा है, वह हरियाणा व पंजाब का किसान अपने कर्ज पर नया कर्ज लेकर और ये पंप लगाकर अपनी crop बचा रहा है। मेरी आप से विनती है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना जो देश में ग्रीन रेवोल्यूशन का सेंटर था और जो देश के लिए सर्वे करती है, से हम कुछ सीखें, अभी उन्होंने बताया कि एक किलो राइस के लिए 3 हजार लीटर पानी चाहिए। One kilo of rice & wheat need three thousand liters of water. अब आप बताइए कि इतना पानी पैदा करने में किसान का कितना खर्च होता है और उसको आप क्या देते हैं?

सर, यूनिवर्सिटी का एक सर्वे यह भी आया है कि during last five years, जो increase in input है, उसकी कॉस्ट 8 परसेंट बढ़ी है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 8 परसेंट बढ़ी है, लेकिन जो प्राइस आपने दी है, वह 1 परसेंट बढ़ी है। this is our comparison और जो सबसे बड़ा danger है, जिसके लिए आप agriculture minister हैं, आप यह देखिए कि जो land ceiling पंजाब और हरियाणा में थी, वह एक farmer के लिए 17 एकड़ थी। अब उसके बाद 3 जेनरेशंस आ चुकी। अब जो farmer है, वह small और marginal farmer हो गया। उसके पास टोटल एरिया क्या होता है- दो एकड़ या तीन एकड़। लेटेस्ट सर्वे यह है कि 30-40 परसेंट of the Punjab and Hariyana farmer, जो कि अब marginal farmer और small farmer बन गए, वे कृषि से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जमीन इतनी थोड़ी है कि वे उससे अपने लायक प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। इतनी छोटी

होलिडिंग से अब मुझे यह डर है कि यह जो पंजाब और हरियाणा आपको परमानेंट फीड करता है ...**(समय की घंटी)**... अगर वहाँ से वह मार्जिनल फारमर निकल गया, तो उससे आप ही सोचिए कि इसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है।

सर, आप मुझे माफ करना। आप एक को तो 15 मिनट देते हैं और हमें पाँच मिनट भी नहीं। मैं तो पंजाब और हरियाणा को रिप्रिजेंट करता हूँ, जो सबसे बड़ा है। आप मेरे समय में बीच में घंटी बजा देते हो ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : बोलिए, बोलिए ...**(व्यवधान)**... आप बोलिए ...**(व्यवधान)**... बोलिए, बोलिए।

श्री तरलोचन सिंह : सर, at least आप पंजाब और हरियाणा का ध्यान रखिए। मैं कोई फालतू बात नहीं कहूँगा और न ही मैं लेक्चर करता हूँ ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : आप बोलिए ...**(व्यवधान)**... be brief ...**(व्यवधान)**... just points only ...**(व्यवधान)**...

श्री तरलोचन सिंह : सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब फारमर को इंसेंटिव नहीं है - इस वक्त क्या है कि सारे इंडिया में अखबारों में एक नई चीज़ आ रही है, वह है - डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि ये जो हमारी क्रॉप्स हैं, ये वाटर कंज्यूमिंग हैं और हमारा वाटर लैवल नीचे जा रहा है। पानी का तो आपने वैसे ही देखा होगा कि पानी के लिए झगड़े चल रहे हैं। जब यह नहीं होगा, तो लोगों को यह एडवाइस मिल रही है कि आप wheat और rice से बाहर निकलिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब अभी इस साल भी आपको जो shortage of wheat in procurement हुई है, जिसकी वज़ह से आप import of wheat कर रहे हैं, तो आप उसका ध्यान रखिए कि अगर यह शॉर्टेज अब और बढ़ी, तो फिर तो सिवाय इम्पोर्ट के और कोई चारा ही नहीं है। It should to avoid that आपको फारमर को खुश रखना है।

मैं एक बात और कहूँगा कि जब भी हम कोई एजिटेशन करते हैं, तो आप खुश करने के लिए बोनस-बोनस करने लगते हैं। हमें यह समझ नहीं आता कि यह जो प्रोडक्शन प्राइस है, आप उसे क्यों नहीं अनाउन्स करते? बोनस से क्या होता है कि बोनस प्रोक्योरमेंट के बाद मिलता है। किसी फारमर को यह मिला और किसी को नहीं मिला। मैं मिनिस्टर साहब से विनती करूँगा कि जो देना है, पैडी के आने से पहले इसको, as production price, announce करिए। आप फारमर का यही भला करेंगे। हमें बोनस में न डालिए। क्योंकि बोनस में, तो जो मिडिल मैन है, वही खा जाता है।

सर, मैं दो-तीन बातें और कह कर बैठ जाऊँगा। हमारा जो शुगरकेन है, अभी उसका एक सर्वे आया है कि शुगरकेन का 1 किंटल प्रोड्यूस करने के लिए 124 रुपए कॉस्ट आती है। आप इसमें क्या देते हैं? उसके बाद शुगर केन वाला काम ज्यादा खराब होता है, because he goes to a sugar mill. और मिल वाले पैसे नहीं देते। फारमर उसके पीछे घूमता रहता है। मुझे याद है कि दो साल पहले हरियाणा में एक एजिटेशन हो गया क्योंकि फारमर को पेमेंट नहीं की गई। तब चौटाला साहब ने कहा कि सरकार ने खुद लोन दिए मिल्स को, तब जाकर उनको पेमेंट हुई।

सर, दूसरी बात यह है कि हमारे हरियाणा में बाजरा और Maize, ये दो बहुत बड़ी क्रॉप्स होती हैं। आप उसके लिए भी ध्यान करिए। आप सिर्फ wheat-rice पर रह जाते हैं। आपसे मेरी यह विनती है कि बाजरा और Maize की जो मिनिमम प्राइस है, वह हम 685 रुपए डिमांड करते हैं। इन दो क्रॉप्स का इसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उसको मिलना चाहिए। कॉटन के लिए बहुत पहले कह चुके। कॉटन तो लोगों को 2700 रुपए से कम कौस्ट नहीं करती। वह किया जाए।

आखिर में, मैं एक बात कहता हूँ कि जो शायद अच्छा न लगे कि पंजाब का यही फारमर, जिसने हिन्दुस्तान को अनाज दिया, आज वह यह सोच रहा है कि -

जिस खेत से दहकां को मयस्सर हो न रोटी,
उस खेत के हर खोशा-ए-गंदम को जला दो।

फारमर तो यहाँ तक तंग हो चुका है कि ...(समय की घंटी)... मुझे अगर कोई लाभ नहीं मिलता, तो मुझे इस खेत में खेती करने से क्या होगा? शरद पवार जी, मुझे उम्मीद है क्योंकि आप खुद किसान हैं, किसानों के हमदर्द हैं और आप पंजाब-हरियाणा में बहुत आए हैं। आप इन दोनों स्टेट्स का जरूर ध्यान रखिए कि कहीं यह स्थिति न रह जाए। उपसभाध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Dr. Barun Mukherjee. You have got five minutes.

DR. BARUN MUKEHRJEE (West Bengal): Sir, this issue of farmers' suicide is not only a great issue, but I would like to say that it is a matter of great shame for the Government, great shame for the whole nation, great shame for all of us because we are living in a country where lakhs of farmers are committing suicides simply because they cannot earn their livelihood for themselves or for their families. So, Sir, in such a situation, there is no point in saying that we are making a very big economic progress, and we are having eight per cent economic growth in our country. But, what is the benefit of this to these poor farmers? They have to commit suicides because they cannot earn their livelihood. In such a situation, Sir, I request the Government, particularly the hon. Agriculture Minister to consider giving top-most national priority to deal with it. Sir, for hours together we have been debating this issue here in this cold Chamber, but it will be better if we take it up on a war-footing. We must take it up with all due seriousness. We should take it as a national priority and solve this problem.

Sir, among many of the reasons, the indebtedness of the farmers is one of the main reasons for suicides being committed by them in different States like Maharashtra, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and others. Sir,

at the moment, the institutional loan given to the farmers is very low. It covers only 10 to 13 per cent. So, the poor farmers have to depend on the money-lenders, and everybody knows how these money-lenders are exploiting these poor people. These money-lenders are charging interest at a very high rate. So, on the one hand, we should take adequate measures for this high interest rates being charged by the money-lenders, but, on the other hand, we should take care of it by increasing the cooperative loans. As our hon. Agriculture Minister is also looking after the Department of Cooperation, so, by making concerted efforts by both these Departments, he can increase the share of cooperative loans to the farmers, obviously, at a lower rate of interest, and that will be of great help to those poor farmers. But, at the same time, I would request the hon. Agriculture Minister to consider giving one-time settlement by waving of loans of these poor farmers. But, a matter of caution is also there. It should not be like the measures taken by Devilaji due to which the rich farmers reaped the harvest out of it. This one-time settlement by waving of the entire loan of the small farmer should be considered, so that they can have the opportunity to start their lives anew. So, the Government should seriously consider this matter. I believe, it will bring a great relief to those people. At the same time, there are many other measures which can be taken up. The hon. Members who spoke before me have already discussed about them. Very often, there is failure of crops due to drought or other natural calamities or bad type of seeds or inadequate fertilisers, and all these things. But, in case of crop failures, farmers should be assured of crop insurance. Only by the crop insurance it can be implemented in a big way, at the national-level. So, that will be a great relief for the farmers.

Another thing I would like to mention, which has already been mentioned is, that the poor farmers are not getting the reasonable price for their agricultural products. In this case, I hope, the hon. Minister will consider setting up of a special committee for reviewing the entire Minimum Support Price mechanism. It should be thoroughly scrutinised and a special committee should be constituted for this purpose. A new way must come out of it so that we can get rid of all these problems.

Lastly, I should mention that giving only *ad hoc* grants or some relief package will not help the farmers. We should go deep into the problem and see to it that agriculture is done scientifically, as long before Subhash Chandra Bose, in his 1938 Haripura Congress speech had advocated for the scientific agriculture. We must go for the scientific

agriculture as much as you can develop it. It will go a long way in solving these problems. Thank you, Sir.

श्री टी० एस० बाजवा (जम्मू और कश्मीर) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ।

सर, यह बहुत इम्पोर्टेंट डिबेट है। हमारे देश में किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार की तरफ से अभी घोषित की गई है, इस बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। सर, यहाँ माननीय सदस्यों ने कई आंकड़े पेश किए, मैं भी किसान होने के नाते कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ। मैं सरकारी आंकड़े पेश नहीं करने जा रहा, बल्कि मेरा अपना जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर एक-दो बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। सर, 2001 में पैडी का रेट, MSP, जो सरकार की तरफ से फिक्स किया गया था, वह 540 रुपए प्रति क्विंटल फिक्स किया गया था, जो कि वर्ष 2006 में 600 रुपए है। इसी तरह से wheat की जो प्राइस फिक्स की गई थी, वह 2001 में 610 रुपए थी, जो कि वर्ष 2006 में 650 रुपए है। सर, दूसरी तरफ जब हम डीजल की प्राइस देखते हैं, तो वर्ष 2001 में जो डीजल की प्राइस थी, मैं जम्मू-कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वह 15.60 रुपए प्रति लीटर के करीब थी और आज वह करीब 32 रुपए प्रति लीटर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ यदि 50 या 60 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो वहाँ डीजल में 100 परसेंट से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। सर, आज का जो किसान है, वह मोस्टली डीजल पर डिपेंड करता है - अगर वह ट्रैक्टर चलाता है, तो डीजल से चलाता है और जैसा माननीय सदस्य श्री तरलोचन सिंह जी ने कहा कि किसान पानी निकालने के लिए पम्प सैट इस्तेमाल करता है तो उसका इंजन भी डीजल से चलता है। तो यदि हम डीजल और किसान अपने खेत में जो खाद डालता है, उसकी कीमत लगाएँ, तो, सर, किसान को एक एकड़ में कम से कम एक क्विंटल से ज्यादा खाद डालनी पड़ती है। उसे DAP डालना पड़ता है, यूरिया डालना पड़ता है, पोटाश डालना पड़ता है और यदि कमजोर जमीन हो तो उसमें जिंक भी डालनी पड़ती है। अब यदि हम इसका टोटल करें तो एक एकड़ पर किसान का कम से कम 8 से 9 हजार रुपए का खर्चा आता है और फिर अगर ऊपर वाला मेहरबान रहे और बारिश हो जाए तो ठीक, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो जितनी किसान ने मेहनत की होती है, वह सारी मेहनत बेकार चली जाती है। यही वजह है कि किसान आत्महत्या करता है। सर, इसमें मेरा एक सुझाव है कि किसान खाद डालता है, बीज डालता है, पेस्टिसाइड डालता है और अच्छी मेहनत करता है और जब फसल तैयार हो जाती है, उस समय यदि बारिश न पड़े, सूखा पड़ जाए, ऐसे में जिस किसान ने इतना पैसा खर्च किया होता है, वह कर्ज के नीचे आ जाता है और यही वजह है कि वह आत्महत्या करता है। सर, इस संबंध में मैं यही कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि वह सिंचाई की सुविधा के लिए अधिक से अधिक प्रबंध करे ताकि हमारे किसानों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।

जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि पंजाब के किसानों के पास पानी के अपने सोर्सिज हैं, हर किसान की जमीन में अपना-अपना पम्प सैट लगा हुआ है, यही वजह है कि आज पंजाब का किसान पूरे देश को टोटल अनाज का 60 फीसदी पैदा करके दे रहा है।

पिछले महीने मुझे रायपुर जाने का मौका मिला, जब मैं रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रहा था तो वहाँ जाने के लिए 120 किलो मीटर का सफर करना पड़ता है। इस रास्ते के

दोनों ओर बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन, सर, मैंने वहां पर देखा कि जहां-जहां पर भी किसानों ने स्वयं ही पानी का बंदोबस्त किया है, वहां हरियाली है, वहां पर अच्छी सब्जियां भी हैं और पैड़ी अर्थात् फसल भी बहुत अच्छी है। मेरे साथ कुछ साथी भी बैठे हुए थे, मैं उनसे कह रहा था कि यदि यहां पर पानी उपलब्ध हो तो यह जो 120 किलो मीटर की लम्बाई का क्षेत्र है, केवल यहीं से पूरे छत्तीसगढ़ को फूडग्रेन हासिल हो सकता है, लेकिन मैंने देखा कि वह पूरी की पूरी जमीन बंजर पड़ी हुई थी।

माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं एक ही बात कहूंगा कि अकेले माननीय मंत्री जी भी इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह तो पूरे देश का सवाल है। इस देश में जब तक हम किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं देंगे, तब तक हमारी फसल बढ़ाई नहीं जा सकती है। सब कुछ पूरा हो जाने के बाद फसल तैयार होने में जब 15 या 20 दिन शेष रह जाते हैं, उस समय यदि बारिश न पड़े, तो किसान ने उस पर जितनी भी मेहनत की होती है, वह सारी की सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं कि जब वह फसलों के मूल्य तय करते हैं, उसके लिए वह कौन सा पैरामीटर एडॉप्ट करते हैं? यह देखते हुए मुझे बहुत हैरानी होती है, जैसा कि श्री वर्मा जी कह रहे थे कि एक किलो ग्राम गेहूं के पीछे केवल दस पैसे की बढ़ोत्तरी की गई है। जब आप कैम्पा कोला का मूल्य तय करते हैं तो वह 35 रुपये प्रति लीटर तय किया जाता है, लेकिन जब आप दूध का मूल्य तय करते हैं तो वह 10 रुपये प्रति लीटर तय किया जाता है। एक तरफ तो कैम्पा कोला का मूल्य 35 रुपये प्रति लीटर फिक्स किया जाता है, दूसरी तरफ हमारा किसान है, जिसने गाय-भैंसे रखी होती हैं, जिसे उनकी इतनी सेवा करनी पड़ती है, उन्हें चारा खिलाता है, दूध निकालता है और फिर उस दूध को लेकर बाजार में जाता है, ऐसे में उसे उस दूध की कीमत केवल 10 या 12 रुपये लीटर के हिसाब से मिलती है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब सरकार इन चीजों का मूल्य तय करती है, उसके लिए वह कौन सा पैरामीटर एडॉप्ट करती है? यही कारण है कि आज का किसान आत्महत्या करने की ओर अग्रसर हो रहा है, फिर चाहे वह बीदर का किसान हो अथवा किसी अन्य स्थान का किसान हो। एक तरफ हमारे देश में ऐसी स्थिति बन चुकी है और दूसरी तरफ इतना अधिक पानी बेकार जा रहा है। हमेशा हम यही कहते हैं कि हमारा वॉटर लैवल दिन प्रति दिन नीचा होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इतना अधिक पानी बेकार चला जाता है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह स्वयं इस स्थिति को देखे। जब तक किसान को पानी नहीं दिया जाएगा, तब तक फूड ग्रेन का कोई भी मसला हल होने वाला नहीं है। किसान अपनी पूरी मेहनत करता है और जब किसान पूरी मेहनत करके अपनी जमीन में खाद डालता है, अच्छा बीज डालता है और अच्छी तरह से जमीन को तैयार करने के उपरांत फसल लगाता है, लेकिन जब उसकी फसल एक बार सूख जाती है तब अगले वर्ष दोबारा फिर से वह इतनी मेहनत करने की स्थिति में ही नहीं रहता, हमेशा उसे यही सोचना पड़ता है कि मेरे पास पानी का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जहां पर नहरों का इंजाम किया जा सके, वहां नहरें बनवाई जाएं, जहां नहरें न बन सकें, वहां पर ट्यूबवैल लगाए जाएं।

अभी एक माननीय सदस्य ने बिल्कुल उचित कहा कि किसान जो पम्प सैट लगावाता है, उसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन बिजली उसे नहीं मिलती। एक छोटे पम्प सैट को चलाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 20 लीटर डीज़ल की आवश्यकता होती है

और डीजल का मूल्य 32 रुपये प्रति लीटर है। एक दिन पम्प सैट चलाने के लिए उसे लगभग 620 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। एक एकड़ भूमि के लिए एक दिन में कम से कम चार या पांच बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। अभी माननीय सदस्य ने बताया भी है कि एक किलो ग्राम चावल के उत्पादन के लिए 3000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन): आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री टी० एस० बाजवा : सर, जब तक हम किसानों को पम्प सैट्स के ऊपर सब्सिडी नहीं देंगे, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि मूल्यों को तय करते समय सरकार न मालूम कौन सा पैरामीटर एडॉप्ट करती है, मुझे याद है कि 1996 में एक मारुति कार की कीमत लगभग दो लाख रुपये थी और ट्रैक्टर की कीमत भी लगभग दो लाख रुपये थी। आज वही ट्रैक्टर की कीमत पांच लाख रुपये है और वही मारुति कार जिसकी कीमत 1996 में दो लाख थी, सर, आज भी वह दो लाख में ही बिक रही है। यह उल्टा हो रहा है। जबकि सब्सिडी किसान को देनी चाहिए क्योंकि जो ट्रैक्टर है वह कॉमर्शियल रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होता है तथा इसको किसान ही खेती के लिए इस्तेमाल करता है और किसान के पास जितने ज्यादा ट्रैक्टर होंगे उससे वह अच्छी तरह से काश्तकारी करेगा, जमीन को अच्छी तरह से तैयार करेगा तो इससे हमारे देश की पैदावार ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन यह उल्टा हो रहा है कि जहां मारुति कार की कीमत बढ़नी चाहिए और ट्रैक्टर की कीमत कम होनी चाहिए, वहां पर ट्रैक्टर की कीमत बढ़ती जा रही है। अब जो ट्रैक्टर आया है उसकी कीमत पांच लाख से ज्यादा हो गई है और मारुति कार की कीमत वहीं है, बल्कि 1996 से भी मेरी जानकारी के अनुसार दस हजार रुपये सस्ती कर दी है। फिर हम कहते हैं कि यह जो सरकार है किसानों की सरकार है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं। सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैंने एक-दो सुझाव दिए कि जब कीमत फिक्स करनी हो तो ठीक तरीके से पैरामीटर देखना चाहिए कि किसान का एक एकड़ के पीछे कितना खर्चा आता है। आज जो नया जमाना है, नई टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण मशीनों में डीजल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो किसान ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल करता है, पानी निकालने के लिए वह पम्प में डीजल का इस्तेमाल करता है, हार्वैस्टिंग के लिए भी किसान डीजल का इस्तेमाल करता है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : प्लीज, वाइंड अप।

श्री टी० एस० बाजवा : थैंक्यू, सर।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, पांच मिनट।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, पांच मिनट आपने कहा है, इसलिए चेयर से आज एक निवेदन करके मैं अपनी बात आरम्भ करना चाहता हूँ। जब कोई भी चर्चा आरम्भ होती है तो प्रारम्भ में चेयर इतनी उदारता दिखाती है और समापन में चेयर इतनी सख्त हो जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं और समर्थन मूल्य, इन दो जुड़े हुए सवालों पर हम विचार कर रहे हैं। मुझे एक बात विचित्र लगती है कि देश का कृषि मंत्री एक प्रगतिशील किसान है और निपुणता के विषय में और सक्षमता के विषय में भी

उनके विरोध में टिप्पणी करने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। सरकारी व्यवस्था और कृषि विभाग का संचालन और उससे को-रिलेटेड विभागों का संचालन इस ढंग से हो रहा है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, स्थाई समिति के सदस्य के रूप में कुछ जगहों पर, जहां किसानों ने आत्महत्या की थी, वहां हमको जाने का अवसर मिला था। वहां तीन-चार बातें ही मूल रूप से पता लगी और इसके अलावा कुछ सामाजिक बातें वहां के लोगों ने बताईं। लेकिन तीन-चार बातें प्रमुख रूप से बताईं गयीं ऋणग्रस्तता यानी कर्ज एक प्रधान कारण है आत्महत्या का। दूसरा कारण लोगों ने बताया कि उस इलाके में निरंतर सूखा पड़ने का एक कारण किसानों द्वारा आत्महत्या का। तीसरा कारण लोगों ने बताया कि जिस परिवार ने आत्महत्या की या उस परिवार के व्यक्ति ने आत्महत्या की, मनी लेंडर ने बड़ी सख्ती बरती थी लोन वसूलने में। चौथा कारण लोगों ने बताया कि सहायता के लिए सरकार के जो संस्थान हैं, संगठन हैं सही समय पर सहायता पहुंचाने में असमर्थ रहे, यानी आसान शर्तों पर उनको ऋण प्राप्त नहीं हो सका। किसी भी सरकार के लिए या किसी भी समाज के लिए यदि कोई किसान, कोई मजदूर या कोई निर्धन रेखा के नीचे रहने वाला व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो इस पूरी समाज व्यवस्था पर और सरकारी व्यवस्था पर एक कूर मजाक होता है और यहां पर यही देखने को मिल रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी घृष्टता कभी नहीं कर सकता कि किसानों ने जो आत्महत्या की है और कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, तो मैं यह कह दूं कि आप असफल रहे हैं। लेकिन मुझे इतना कहने में कोई हिचक नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि कृषि और किसानों से संबंधित जितने सरकारी विभाग हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव है। उनके बीच में एक तारतम्य और समन्वय का अभाव है, उनकी संयुक्त बैठकें नहीं हो रही हैं और मुझे यह भी कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि कृषि के ऊपर सरकार का जो ध्यान होना चाहिए, वह सरकार ने इसको प्राथमिकता के तौर पर लेने का काम नहीं किया है। उपसभाध्यक्ष जी, शरद जी के साथ डेयरी डेवलपमेंट विभाग भी कृषि से संबंधित है, सहकारिता विभाग भी कृषि से संबंधित है, वाटर रिसोर्सेस विभाग भी कृषि से संबंधित है, फाइनेंस विभाग भी कृषि से संबंधित है। इन सारे विभागों के बीच में यदि समन्वय हो जाये, तो शायद यह स्थिति नहीं आये। मैं कई उदाहरणों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कृषि मंत्री जी, हाल के 15 दिनों के अंदर एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहता हूं जिससे मार्केटिंग व्यवस्था का पता चलता है। मैं बिहार जैसे पिछड़े राज्य से आता हूं। आने के वक्त मैंने वहां पर टमाटर खरीदा, मैंने वहां पर तीन रुपये किलो टमाटर खरीदा। मैं दिल्ली में आया तो 10 रुपये और 11 रुपये किलो टमाटर का भाव था। यह जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, इसको बदलने की जरूरत है, तभी किसानों की आत्महत्या रोकी जा सकती है। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आपके जो कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, जो आपके अनुसंधान केन्द्र हैं, उनके तौर-तरीकों में थोड़ा बदलाव लाया जाना चाहिए। आपने प्रगतिशीलता के पैमाने पर बड़ा उत्पादन करके दिखाया है, वैसे ही सीमांत किसानों के लिए एक अलग तरह की नीति अपनाने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं और यह उदाहरण इस सदन से संबंधित है। दिनांक 23-05-2006 को इसी राज्य सभा में मैंने सवाल उठाया था और वह सवाल उठाया था वाटर रिसोर्सेस विभाग के मंत्री से, renovation और गांव में जल निकासी, इनकी मरम्मत के बारे में देश में इनके 24 हजार वाटर यूनिट्स हैं। उन्होंने कहा था कि इसके लिए 300 करोड़ रुपये का हमने प्रबंधन किया है और यह स्कीम पूरे देश में लागू होगी, यह स्कीम 2004 में निकली है और 2007 में खत्म होगी, इस पर केवल 100 करोड़ रुपया

14 राज्यों में खर्च हुआ है। मंत्री जी का सदन में आश्वासन है कि इसको हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ... (समय की घंटी)... लेकिन साथ-साथ इम्प्लीमेंटेशन केवल 100 करोड़ का हुआ है और यह कह रहे हैं कि हम इसके बारे में वित्त मंत्री जी से भी बात करेंगे। वित्त मंत्री जी और पैसा बढ़ाने का काम करेंगे, 14 राज्यों में जो काम हुआ, उसका मूल्यांकन नहीं हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया और मंत्री जी कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को हम पूरे देश में लागू करने का प्रयास करेंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आश्वासन सरकार दे, उन आश्वासनों को कार्यान्वयन करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी सरकार दिखाये, उनको लागू करने का संकल्प भी दिखाये, उन वायदों को पूरा करने का काम भी करे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ। रिजर्व बैंक के निर्देश रहते हैं...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : आप समाप्त कीजिए।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह : वित्त विभाग के निर्देश भी रहते हैं कि किसानों के ऊपर आप 18 प्रतिशत रुपया खर्च करेंगे। उपसभाध्यक्ष जी, 26 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनमें से केवल 8 बैंकों ने रिजर्व बैंक की शर्तों को पूरा करने का काम किया है, 26 में से केवल 8 ने यह काम किया है। अब जिस देश में राष्ट्रीय बैंक, गांव के किसानों को, गांव के मजदूरों को सहायता देने के लिए, उनके लिए जो नीति निर्धारित की गई है, उसको कार्यान्वित करने की दिशा में दिलचस्पी नहीं दिखायेंगे, तो इस देश के किसानों का क्या हो सकता है? इस देश के किसानों के लिए जरूरी है कि बैंक भी उदार हों और किसानों को ऋण देने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, उनका रेगुलेशन और उनके प्रबंधन के तौर-तरीके में बदलाव करने का प्रयास किया जाना चाहिये। मंत्री जी विशेष रूप से दो-तीन बातें...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : अब समाप्त कीजिए।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह : प्वाइंट्स के रूप में कहना चाहता हूँ। चूंकि बार-बार आपका निर्देश हो रहा है इसलिए और अधिक देर तक मैं बोलता रहा तो ठीक नहीं होगा। एक भूमि सर्वेक्षण का काम बड़े पैमाने पर आप करवा दीजिए। भूमि सर्वेक्षण के काम के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किस खेत में कौन सी फसल उपजायी जाए, इसकी तो कम से कम जांच हो जाए।... (समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : समाप्त कीजिए।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह : लघु सिंचाई योजना पर विशेष ध्यान दिया जाए। उपसभाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने कहा है, मैं विस्तार से कुछ प्वाइंट वाइज़ तैयार करके लाया था, मैं केवल प्वाइंट्स उल्लेख करना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी० जे० कुरियन) : आपका पांच मिनट का टाइम था, आपने दस मिनट का टाइम ले लिया है।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह : मौसम विभाग को - यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस देश का मौसम विभाग ने मज़ाक कर दिया है कि सूखे का पता नहीं चलता है - चुस्त दुरुस्त एवं अत्याधुनिक बनाया जाए। कृषि तथा किसानों से संबंधित विभागों में अच्छा समन्वय हो। मार्केटिंग

तथा वितरण की व्यवस्था ठीक की जाए, कृषि में निवेश बढ़ाया जाए। बैंक निर्देशों का पालन करें। एक अंतिम सुझाव यह देना चाहता हूँ कि करखनिया माल तथा किसानों की फसल की कीमतों में संतुलन की सीमा निर्धारित की जाए। एक का प्राइस बढ़ता जाए और दूसरे का नहीं बढ़े, यह ठीक नहीं है। अंत में, फसल बीमा योजना की बात कहना चाहता हूँ कि इसको प्रोत्साहित किया जाए, इसको ज्यादा बढ़ाया जाए। किसानों को इसकी जानकारी दी जाए जिससे जिनकी फसल बर्बाद हो, उनको राहत मिल सके, इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The Short Duration Discussion will continue tomorrow.

Now, messages from Lok Sabha.

MESSAGES FROM LOK SABHA - Contd.

1. **The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Bill, 2006.**
2. **The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2006.**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, I am directed to enclose the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Bill, 2006, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 23rd August, 2006.

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, I am directed to enclose the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2006, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 23rd August, 2006.